रिपोर्ट

1961-62

भारत सरकार

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

रिपोर्ट 1961-62

विषय सूची

		पृष्ठ
प्रस्तावना		I—II
अध्याय 1.	सामान्य	1
अध्याय 2.	सहकारिता आन्दोलन की समीक्षा	4
	1. कृषि में सहकारी ऋण	4
	2. सहकारी बिक्री प्रोसेसिंग और गोदाम व्यवस्था	8
	3. सहकारी खेती	13
	4. अन्य सहकारी क्षेत्र	17
अध्याय 3.	सहकारिता प्रशिक्षण और शिक्षा	20
अध्याय 4.	सहकारी कानून	27
अध्याय 5.	सूचना और जनसम्पर्क	28
अध्याय 6.	राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड	29
अध्याय 7.	1962-63 के कार्यक्रम की मोटी बातें	31
उपसंहार		
	परिशिष्ट 1 से 6	36—50
	विवरण 1 से 5	51—56

प्रस्तावना

दिसम्बर 1958 में स्थापित सहकारिता विभाग की यह तीसरी वार्षिक रिपोर्ट है।

आलोच्य वर्ष में सहकारी ऋण सम्बन्धी कमेटी और सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्टों पर किये गये नीति सम्बन्धी निर्णयों को अमल करने में बहुत प्रगति हुई। सहकारी बिक्री-व्यवस्था के विस्तार, बिक्री और ऋण में सम्बन्ध स्थापित करने और सहकारी संस्थाओं के जरिये कृषि सम्बन्धी जरूरतें और आवश्यक सामान के वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया। श्रमिक और निर्माण सम्बन्धी सहकारी समितियों, रिक्शा चालकों की समितियों और सहकारी छापाखाने जैसी समितियों के गठन को प्रोत्साहन दिया गया।

सहकारी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष अध्ययन की व्यवस्था की गई और इस कार्य के लिये निम्नलिखित दल नियुक्त किये गये—

1. सहकारी प्रशिक्षण के लिये एक अध्ययन दल।
2. पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के सम्बन्धों का अध्ययन करने के लिये कार्यकारी दल।
3. सहकारी प्रोसेसिंग कमेटी।
4. उपभोक्ता सहकारी समितियों संबन्धी कमेटी।
5. तकावी ऋण सहकारी संस्थाओं के जरिये देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कमेटी।

इनमें से तकावी ऋण संबन्धी कमेटी को छोड़कर शेष सभी अध्ययन दलों की रिपोर्ट इसी वर्ष में प्राप्त हो गई।

अक्तूबर 1961 में नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। इससे पहले सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों (पंजीयन अधिकारियों) का सम्मेलन हुआ था। इन सम्मेलनों ने वर्ष के दौरान में दी गई विभिन्न अध्ययन दलों की रिपोर्टों पर विचार किया और उन पर निर्णय किये।

पूर्वी राज्यों में सहकारिता आंदोलन का विशेष अध्ययन किया गया। अधिकारी स्तर पर दो बैठकों में और नवम्बर 1961में पूर्वी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में समस्याओं पर विचार किया गया। इन राज्यों में सहकारिता आंदोलन को अधिक सजीव बनाने के लिये इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय किये गये, यह राज्य देश के अन्य भागों से इस सम्बन्ध में काफी पीछे थे।

नवम्बर 1961 को केन्द्रीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में उन क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन की विशेष समस्याओं पर विचार किया गया और आंदोलन को मजबूत बनाने के लिये कुछ निर्णय किये गये।

आलोच्य वर्ष में अनौपचारिक सलाहकार समिति की पांच बैठकें हुईं। विभाग को उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सदस्यों की सलाह का लाभ मिला जिन प्रश्नों पर वर्ष के दौरान में विचार हुआ था। सहकारिता आंदोलन को आत्मनियमित और आत्मचलित स्वरूप देने के लिये सहकारिता के हर क्षेत्र में सशक्त संघीय संस्थाएं बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सहकारी संघों को सही तौर पर वस्तुतः संघीय रूप देने के कदम उठाये गये और सहकारी चीनी फैक्टरियों का एक नया राष्ट्रीय संघ बनाया गया।

अध्याय 1

सामान्य

अध्ययन दलों की रिपोर्ट

पिछले वर्ष मंत्रालय ने सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री के संसदीय सचिव श्री एस० डी० मिश्र की अध्यक्षता में सहकारिता का प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल नियुक्त किया था जिसे शिक्षा व प्रशिक्षण के वर्तमान प्रबन्ध का सर्वेक्षण करने तथा भावी प्रबंधों के संबंध में सिफारिशें करने का काम सौंपा गया। अध्ययन दल ने अप्रैल 1961 में अपनी रिपोर्ट दे दी। जुलाई 1961 में मन्त्रालय ने श्री० एस० डी० मिश्र की अध्यक्षता में पंचायतीराज का सहकारिता से संबंध और सहकारी संस्थाओं पर उसके प्रभाव के संबध में अध्ययन करने और पंचायतों और सहकारी संस्थाओं में सम्बन्ध के लिए ठोस उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक और अध्ययन दल नियुक्त किया। अक्टूबर 1961 के मध्य में इस दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी। जैसा कि गत वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड ने दो समितियां बनाई थीं, एक प्रोसेसिंग सहकारी संस्थाओं (अध्यक्ष श्री आर० जी० सरय्या) और दूसरी उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं (अध्यक्ष डा० पी० नटेशन) के संबंध में थीं। इन्हें सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन करने और संस्थाओं के ठोस और तेज विकास के लिए उपाय सुझाने का काम दिया गया। इन समितियों की रिपोर्ट भी आलोच्य वर्ष में प्राप्त हो गई।

इन रिपोर्टों पर अक्टूबर 1961 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के सहकार मंत्रियों और सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों के सम्मेलनों में विचार किया गया। सहकारिता के प्रशिक्षण, सहकारी प्रोसेसिंग संस्थाओं और उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के बारे में हुए निर्णयों पर अमल किया जा रहा है। पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के संबंधों के बारे में रिपोर्ट पर राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है। 1960-61 की रिपोर्ट में सहकारी ऋण व्यवस्था-सम्बन्धी समिति और सहकारी खेती संबंधी कार्यकारी दल की विस्तार से दी गई सिफारिशों पर अब तक हुए अमली काम की भी समीक्षा इन सम्मेलनों में की गई।

मंत्रालय ने जुलाई 1961 में योजना आयोग के सलाहकार श्री बी० पी० पटेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे किसानों को सहकारी संस्थाओं के जरिए ही सभी सहकारी ऋण उपलब्ध करने की नीति के अमल में आने वाली संगठनात्मक कार्यविधि और प्रशासकीय समस्याओं पर विचार का काम सौंपा गया। यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी।

विभिन्न समितियों की स्थापना करने सम्बन्धी अधि-सूचनाएं परिशिष्ट एक से तीन में दी गई हैं।

संघीय क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन

नई दिल्ली में 2 नवम्बर 1961 को सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों, सहकारिता विभाग के सचिवों और केन्द्रीय क्षेत्रों के मुख्य सहकारी संस्थानों के गैर-सरकारी अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ। केन्द्रीय क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन की विशेष समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया और कुछ निश्चित सिफारिशें की गईं। योजना संबंधी विचार-विमर्श के समय तीसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्रों में सहकारिता विकास योजनाओं की प्रगति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

पूर्वी राज्यों में सहकारिता आन्दोलन

1960-61 की रिपोर्ट में पूर्वी राज्यों में सहकारिता के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। श्रीनगर में जून 1960 में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में निश्चय किया गया था कि पूर्वी राज्यों के एक विशेष सम्मेलन में सहकारिता आंदोलन के विकास में आने वाली उनकी कठिनाइयों पर विचार किया जाए। इस निर्णय के अनुसार मंत्रालय और रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के अधिकारियों के दलों ने उन स्थानों की यात्रा कर विभिन्न क्षेत्रोंमें सहकारी संस्थानों की समस्याओं और अब तक हुई प्रगति का अध्ययन किया। इसके बाद पूर्वी राज्यों के दो अलग-अलग सम्मेलन हुए, एक रिज़र्व बैंक ने सहकारी ऋण की समस्याओं पर विचार करने के लिये मई 1961 में बुलाया और दूसरा मंत्रालय ने सितम्बर 1961 में सहकारी बिक्री व्यवस्था और प्रोसेसिंग की समस्याओं पर विचार करने के लिए बुलाया। इन अध्ययनों और विचार विमर्श के मोटे परिणाम नई दिल्ली में 7 नवम्बर (1961) को हुए पूर्वी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में पेश किये गये। सम्मेलन ने कुछ संगठनात्मक वित्तीय और प्रशासकीय उपाय निश्चित किये जिन्हें पूर्वीय राज्यों में

सहकारिता आन्दोलन मजबूत बनाने के लिये आवश्यक समझा गया। इस संबंध में पूर्वी प्रदेशों की राज्य सरकारों को भेजे गये पत्र की एक नकल परिशिष्ट-4 में दी गई है।

इन निर्णयों के आधार पर योजना आयोग ने इस क्षेत्र में सहकारिता के विकास के लिये राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है। यह इरादा है कि राज्य सरकारें सहकारी संस्थानों को अधिक उदारता से सहायता देने के कार्यक्रम बनायेंगी।

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने भी इस प्रदेश में राज्य सरकारों को ऋण देने के लिये अतिरिक्त धन स्वीकार किया है जिससे कुछ चुनी हुई छोटी सहकारी संस्थाओं की शेयर-पूंजी बढ़ाने में मदद दी जा सके।

अध्याय 2

सहकारी आन्दोलन की समीक्षा

30 जून 1960 तक—जब तक आंकड़े और जानकारी मिली है—सामान्य सर्वेक्षण के आधार पर स्पष्ट है कि सहकारी आन्दोलन ने—धीरे-धीरे प्रगति की है। 1959-60 में सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं की संख्या 2.84 लाख से बढ़कर 3.14 लाख हो गई। पिछले वर्षों के समान कृषि ऋण संस्थाएं—जिनकी संख्या 2.03 लाख है—कुल सहकारी संस्थाओं की 65% हैं। संख्या की दृष्टि से यह देश के सहकारी संस्थानों में एक ही वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। गैर ऋण संस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बुनकरों की और अन्य औद्योगिक सहकारी संस्थाएं हैं जिनकी संख्या क्रमशः 11,215 और 17,896 है। वर्ष के दौरान में सभी प्राइमरी संस्थाओं की सदस्य संख्या 22.2% बढ़कर 248 लाख से 303 लाख तक पहुंच गई। कृषि ऋण संस्थाओं में ही नए सदस्यों की संख्या 25 लाख है। वर्ष के दौरान में सभी प्रकार की प्राइमरी संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण की रकम 65.12 करोड़ बढ़कर कुल 325.32 करोड़ हो गई।

(1) कृषि में सहकारी ऋण

प्राइमरी कृषि ऋण संस्था और सेवा सहकार संस्था

सहकारी ऋण व्यवस्था का आधार कृषि ऋण संस्थाएं हैं। 1959-60 के अंत में कृषि ऋण सहकारी संस्थाओं की संख्या 2.03 लाख थी और इनकी सदस्य संख्या 144.23 लाख थी। 1960-61 में इन संस्थाओं और इनकी सदस्य संख्या बढ़कर क्रमशः 2.13 लाख और 173.18 लाख हो गई। करीब 70 हज़ार संस्थाएं ऋण देने के अलावा और एक से अधिक काम कर रही थीं। अनुमान है कि 1961-62 में 8 हज़ार नई सेवा सहकार संस्थाएं बनाई गई हैं। प्राइमरी कृषि ऋण संस्थाओं की सदस्य संख्या भी जो 1960-61 के अन्त में 173.18 लाख थी 1961-62 के अंत तक 210 लाख हो जाएगी जिनसे ग्रामीण जनता की 30% को लाभ होने लगेगा। 1959-60 में कृषि ऋण संस्थाओं द्वारा थोड़े

समय और मध्यम समय के लिए दिए गए ऋण की रकम 169 करोड़ थी। 1960-61 में यह रकम बढ़कर 208 करोड़ हो गई और 1961-62 में 240 करोड़ पहुंच जाने की संभावना है।

दूसरी योजना में प्राइमरी कृषि ऋण संस्थाओं को, जो बहुत कमज़ोर थीं, पुनः सजीव करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था; तीसरी योजना में भी वह जारी रहा। दूसरी योजना में 42,000 ऐसी संस्थायें कार्यक्रम में शामिल की गई थीं। 1961-62 में 15,400 और संस्थाएं सजीवकरण के कार्यक्रम में शामिल की गईं। सजीव और मज़बूत बनाने के कार्यक्रम पर बहुत बल दिया गया। फरवरी 1961 में मन्त्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक योजना भेजी जिसमें किसी संस्था को सजीव बनाने के विभिन्न उपाय बताए गए थे। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि सारे देश में वर्तमान संस्थाओं को सजीव बनाने का काम उतने संतोषजनक रूप से नहीं हो रहा है जितना आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह एक विस्तृत कार्यक्रम बना लें जिसमें वास्तविक क्षेत्र में काम करने की विधियों को सूची भी रहे। फिर से सजीव करने के कार्यक्रम के साथ-साथ निर्जीव संस्थाओं को धीरे-धीरे व्यवस्थित रूप से खत्म करने की आवश्यकता राज्यों को बताई जा चुकी है परन्तु इस दिशा में भी राज्यों में प्रगति अनियमित है।

नवनिर्मित संस्थाओं और पहले की संस्थाओं को जिन्हें सजीवकरण के लिए शामिल किया जाए प्रबन्ध संबंधी सहायता के रूप में प्रत्येक को 900 रु० दिए जा सकते हैं। यह रकम 3 से 5 साल के बीच दी जा सकती है। 1961-62 में इस कार्य के लिए 183 लाख की व्यवस्था की गई। इसमें से आधी रकम राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम बोर्ड के ज़रिये भारत सरकार देती है।

केन्द्रीय और शीर्ष बैंक

कुछ राज्यों में व्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय करण के कारण केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या जो 1958-59 में 402 थी गिरकर 1959-60 में 400 रह गई। हां, उनकी काम काज की पूंजी 189.62 करोड़ से बढ़कर 1959-60 के अन्त में 247.40 करोड़ हो गई। इस पूंजी में से अपना निजी कोष और डिपाजिट क्रमशः 17% और 38% थे।

राजीय सहकारी बैंकों की संख्या 22 ही रही। 1959-60 के अन्त में उनकी काम काज की पूंजी 18.3% पर 175 करोड़ हो गई। इसमें डिपाजिट 34.4% और अपना निजी कोष 11.3% था।

पर्याप्त ऋण समय पर देने की सुविधा के ख्याल से केन्द्रीय और मुख्य सहकारी बैंकों का पुनर्गठन किया गया और उन्हें मजबूत बनाया गया। यह शेयर पूंजी में सरकार के योग और प्रबंध तथा निरीक्षण विभाग में अधिक कर्मचारी भरती करने के लिए सरकारी सहायता से ही संभव हो सका। 1959-60 के अंत में राजीय सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में सरकारी योग 5.62 करोड़ था और केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 8.77 करोड़ था। 1961-62 के लिए 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त प्रबंधक और निरीक्षक कर्मचारी भरती किए जा सकें। इस सहायता का आधा भारत सरकार ही राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम बोर्ड के जरिए देगी।

नियम और ऋण संबंधी विधि

जैसा कि गत वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था सहकारी ऋण संबंधी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर भारत सरकार ने विचार किया और उस पर जो निर्णय किए उनकी सूचना राज्य सरकारों को दे दी गई। अन्य सिफारिशें राज्य सरकारों को और रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया को स्वीकृति के लिए भेज दी गई। इसके अनुसार रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित निर्णय किए हैं जिनकी सूचना राज्य सरकारों को दे दी गई है।

(1) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन) कोष से दिए जाने वाले ऋण के संबंध में आवेदन पत्र मांगे हैं। ऋण की इन रकमों में से राज्य सरकारें कुछ चुनी हुई प्राइमरी संस्थाओं (ए० बी० और सी० वर्गों वाली और जिनके जिम्मे की शेयर पूंजी में 30% से भी ऊपर की अदायगी नहीं हो गई है) 1961-62 में अपना योगदान करेंगी। रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया समय समय पर स्थिति की समीक्षा करेगा।

(2) सहकारी ऋण संबंधी समिति ने सुझाव रखा कि रिज़र्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राजीय सहकारी बैंकों को छोटे और मध्यम अवधि के ऋण देने में मानदंड उदार किए जाएं। इसी उद्देश्य से ऐसे मामलों में ऋण की सीमा संबंधी प्रतिबन्ध भी ढीले करने का सुझाव आया था। रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया।

बैंक ने यह स्वीकार कर लिया है कि यदि धन उपलब्ध हो तो कुछ मामलों में मध्यम अवधि के ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अपने निजी कोष से दुगुनी

अधिक रकम दी जा सकती है परन्तु यह पिछले वर्ष के डिपाजिटों और चुकता शेयर पूंजी बढ़ने से ही सम्भव हो सकेगा।

छोटी अवधि के ऋण के संबंध में सामान्य और असामान्य सीमाओं को खत्म कर दिया गया है जिससे सामान्य ऋण सीमा 'ए' और 'बी' वर्गों के केन्द्रीय सहकारी बैंक मौसमी खेती और फसल की बिक्री के लिए अपने निजी कोष से क्रमशः चार और तीन गुना अधिक ऋण ले सकेंगे। 'सी' क्लास बैंकों के संबंध में राज्य सरकार की गारन्टी मिलने के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया चार गुना तक ऋण दे सकेगा।

इसके अलावा 'ए' क्लास बैंकों को अपने निजी कोष से दुगुना लेने की अतिरिक्त सीमा बना दी गई है और 'बी' क्लास बैंकों के लिए कुछ निश्चित शर्तों पर अपने निजी कोष के बराबर ऋण लेने का अधिकार दे दिया गया है।

(3) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सहकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि मध्य अवधि के लिए 501 से कम ऋण देते हुए जमीन रहन न रखी जाए। 501 और 1,000 रुपये का मध्य अवधि ऋण ज़मीन की ज़मानत पर दिया जा सकता है।

आशा की जाती है कि इन उपायों से सहकारी ऋण व्यवस्था मजबूत करने में बहुत सहायता मिलेगी और वह तीसरी योजना में परिवाधित विकास कार्यों के संबंध में अपने बढ़े हुए दायित्व का पालन कर सकेगा।

दीर्घकालीन ऋण

पाण्डीचेरी में एक केन्द्रीय ज़मीन रेहन बैंक की स्थापना के बाद ऐसे बैंकों की संख्या जो 1958-59 में 15 थी 1959-60 के अंत में 16 हो गई। इन बैंकों की काम काज की पूंजी 30 जून 1960 को 37.38 करोड़ थी जिसमें मुख्यतः सम्बद्ध राज्य सरकारों की गारन्टी पर चालू किए गए डिबेन्चर शामिल थे। इस तारीख को 27.07 करोड़ रुपये के डिबेन्चर थे। 1959-60 में बेचे गए डिबेन्चरों का मूल्य 4.23 करोड़ रुपये था जबकि इससे पिछले वर्ष में 3.78 करोड़ रुपये के डिबेन्चर बेचे गए।

30 जून 1960 को प्राइमरी ज़मीन रहन बैंकों की संख्या 408 थी (इसमें 21 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ज़मीन रहन विभाग भी शामिल हैं) और उनके सदस्यों की संख्या 3.50 लाख थी। सदस्यों के नाम बकाया दीर्घ कालीन ऋण की रकम 29.17 करोड़ थी। अनुमान है कि 1960-61 के अन्त तक बकाया दीर्घ कालीन ऋणों की रकम 34 करोड़ रुपया होगी (लक्ष्य 25 करोड़ रुपये का था)। 1961-62 में यह संख्या 45 करोड़ होने की संभावना है।

ज़मीन रेहन बैंकों को योग्य कर्मचारी रखने की सुविधा देने के लिए राज्य सरकारें 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता देती हैं। 1961-62 में इस कार्य के लिए 11 लाख रुपया रखा गया। इस सहायता का आधा केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास व गोदाम बोर्ड के ज़रिए देती है।

(2) सहकारी बिक्री, प्रोसेसिंग और संग्रह व्यवस्था

सहकारी बिक्री व्यवस्था के विकास पर बल

सहकारी बिक्री व्यवस्था और प्रोसेसिंग को सहकारिता के विकास के बड़े कार्यक्रम का अभिन्न अंग समझना चाहिए। खेती की उपज को सहकारी बिक्री और प्रोसेसिंग प्राइमरी कृषी उत्पादक को संगठित शक्ति देने के लिए आवश्यक है जिससे उसे यह भी आश्वासन मिल सके कि उसकी उपज का उसे पर्याप्त लाभ मिलेगा; उत्पादक और उपभोक्ता के बीच मूल्य की खाई भी घट जाएगी। यह तीसरी योजना में निहित सहकारी ऋण व्यवस्था के व्यापक विस्तार के कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है।

दुर्भाग्यवश, सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण देने का काम तो 50 वर्ष पूर्व शुरू कर दिया गया था परन्तु बहुत थोड़े से क्षेत्रों को छोड़ कर शेष सभी जगह सहकारी बिक्री व्यवस्था की अभी हाल तक उपेक्षा की जाती रही है। इस क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के विकास में कुछ विशेष समस्याओं से बाधा पहुँची है विशेष रूप से इस काम में जुटे हुए निजी, गैर सरकारी, व्यापारियों का प्रबल विरोध।

ऊपर की बातों के कारण 1961-62 में सहकारी बिक्री और प्रोसेसिंग व्यवस्था के विकास पर विशेष बल दिया गया। इस कार्य के लिए उत्तरी राज्यों की एक प्रादेशिक गोष्ठी पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में बुलाई गई थी जिसने इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है।

सितम्बर 1961 में पूर्वी राज्यों का विशेष सम्मेलन रांची में हुआ जिसमें इन राज्यों में सहकारी बिक्री और प्रोसेसिंग व्यवस्था के पुनर्गठन और उन्हें मज़बूत बनाने के संबंध में कुछ निर्णय किए गये। जनवरी 1962 में सहकारी रुई बिक्री व्यवस्था और प्रोसेसिंग व्यवस्था के संबंध में एक गोष्ठी गुजरात राज्य में आयोजित की गई जहां इस क्षेत्र में काफी विकास हो चुका है और आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड द्वारा स्थापित अध्ययन दल ने पश्चिमी बंगाल में जूट और आन्ध्र में धान की सहकारी बिक्री की समस्याओं पर विशेष अध्ययन किया।

नई बिक्री संस्थाओं की स्थापना

दूसरी योजना के दौरान में 1900 प्राइमरी बिक्री संस्थाओं की सथापना के अतिरिक्त तीसरी योजना में 500 नई संस्थाओं की रचना की व्यवस्था जिससे तीसरी योजना के अन्त तक हर छोटी बड़ी मण्डी के लिए एक बिक्री संस्था हो जाएगी। इस कार्यक्रम के अनुसार 1961-62 के वर्ष में 110 नई प्राइमरी बिक्री संस्था खोलने की संभावना है।

कामकाज का विस्तार

नए व्यापारी क्षेत्रों में कई प्राइमरी बिक्री संस्था स्थापित करने के अलावा वर्तमान बिक्री संस्थाओं को मजबूत बनाने और उनका काम काज बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। 1960-61 के सहकारिता वर्ष में सहकारी संस्थाओं द्वारा 153 करोड़ रुपये के मूल्य की खेती की उपज बेची गई। बिक्री संस्थाओं द्वारा बेची गई कृषि सामग्री और विभिन्न उपभोक्ता सामग्री इसमें शामिल नहीं है। खेती की उपज बेचने के लिए सुविधाएं देने के अतिरिक्त बिक्री संस्थाओं ने अपने सदस्यों की अपनी फसल अधिक मूल्य पर बेचने तक उसे जमा रखने के लिए ऋण की सुविधाएं दे दी। सहकारी संस्थाओं ने खेती की उपज के वायदे पर 1960–61 में 14 करोड़ रुपया ऋण देने का वादा किया।

ऋण और बिक्री का संबंध

सहकारिता के विकास के कार्यक्रम में ऋण और बिक्री व्यवस्था का संबंध अभिन्न अंग है। कुछ राज्यों में कपास और गन्ना जैसी चुनी हुई व्यापारिक फसलों के लिए ऋण और बिक्री व्यवस्था का गहरा संबंध बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश और जम्मू काश्मीर में ऋण व बिक्री का संबंध जोड़ने से महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। मद्रास राज्य में इस सम्बंध में शुरूआत हो चुकी है और साथ ही मध्य प्रदेश और पंजाब के "पंकेज" कार्यक्रम के जिलों में भी।

आयात और निर्यात

1961-62 के दौरान में सहकारी संस्थाओं में कपास, दाल और तम्बाकू के निर्यात तथा आलू के बीज फूल गोभी के बीज आयात करने में भाग लिया गुजरात, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में सहकारी बिक्री संस्थाओं ने मूंगफली की गिरी के लिए राजकीय व्यापार निगम से बन्दोबस्त किया। संस्थाओं द्वारा मुहैया की

गिरी से निकले हुए तेल को निर्यात करने का प्रबंध राजकीय व्यापार निगम पर रहेगा।

खेती के संबंध में काम आने वाली और दूसरी आवश्यक चीज़ों का वितरण

विभिन्न स्तरों पर बिक्री संस्थाओं और उनसे सम्बद्ध सेवा सहकार संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य ग्राम क्षेत्रों में खेती के सामान का वितरण है। पश्चिमी बंगाल और केरल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में रासायनिक खाद के वितरण का सारा काम सहकारी संस्थाओं के जिम्मे है। सहकारी संस्थाएं, उन्नत बीज, खेती के औजार, कीटाणुनाशक दवाइयां और छिड़कने वाले सामान के वितरण का काम भी धीरे-धीरे अपने ऊपर ले रही हैं। ग्राम क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के वितरण का काम भी सहकारी संस्थाओं ने संभाल लिया है। कुछ राज्यों में चीनी के वितरण और लोहे व इस्पात के कोटे के संबंध में निजी संस्थाओं के मुकाबले सहकारी संस्थाओं को तरजीह दी जाती है। सहकारी संस्थाओं ने इण्डियन आयल कम्पनी का मिट्टी का तेल आठ राज्यों में वितरित करने का काम स्वयं ले लिया है और अन्य राज्यों में इसकी व्यवस्था की जा रही है।

सहकारी चीनी फैक्टरियां

खेती की उपज को सहकारी तरीके से प्रोसेस करने के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। विशेष रूप से गन्ना पेरने के क्षेत्र में। 1 अप्रैल 1961 को उद्योग (विकास और नियमन) कानून 1951 के अन्तर्गत रजिस्टर लाइसेंस प्राप्त सहकारी संस्थाओं की संख्या 50 थी। इनमें से 15 को तीसरी योजना के लक्ष्यों के अनुसार दिए गए हैं। वर्ष के दौरान कोई नया लाइसेंस नहीं लिया गया क्योंकि देश में चीनी का उत्पादन अपनी आवश्यकता से अधिक है :

निम्नलिखित तालिका में देश में चीनी के कुल उत्पादन में सहकारी संस्थाओं का बढ़ता हुआ योग दिखाया गया है,

वर्ष	उत्पादन कार्य में लगी सहकारी चीनी उत्पादन फैक्टरियों की संख्या	सहकारी संस्थाओं के ज़रिए चीनी का कुल उत्पादन (लाख टनों में)	देश के कुल उत्पादन में सहकारी संस्थांओं का हिस्सा
1955-56	3	0.02	0.11%
1956-57	8	0.58	2.88%
1957-58	14	1.50	7.5%
1958-59	21	1.79	9.3 %
1959-60	24	2.86	11.4 %
1960-61	30	4.42	14.7 %

1961-62 के मौसम में 3 और सहकारी चीनी फैक्टरियों में उत्पादन शुरु हो गया है। इस प्रकार यह संख्या 33 हो गई है। शेश 23 संस्थाओं में से जिन्हें लाइसेंस दिया जा चका है। 18 के कारखाने खड़े हो रहे हैं जबकि पांच ने अभी मशीनें मंगवाने का आर्डर नहीं दिया है। नई सहकारी चीनी फैक्टरियों की गन्ना पेरने की क्षमता 1000 टन प्रतिदिन है। इन सहकारी संस्थाओं को भारत के चीनी मशीन निर्माता मंडल से मशीनें मिलती हैं। सभी नई चीनी सहकारी संस्थाओं की पूंजी की आवश्यकता 142 लाख तक पहुँच गई है। फैक्टरियों की शेयर पूंजी में सरकारी योगदान की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। सरकारी शेयर पूंजी के अलावा सहकारी चीनी फैक्टरियों से आशा की जाती है कि वह इतनी ही रकम अपने सदस्यों से प्राप्त करेंगे और गन्ने के दाम में अनिवार्य कमी करके और भी शेयर पूंजी जमा कर सकेंगे। 31 मार्च 1961 को सहकारी चीनी फैक्टरियों की कुल शेयर पूंजी 16.38 करोड़ थी जिसमें सरकार का हिस्सा 6.49 करोड़ था। चीनी फैक्टरियों की शेयर पूंजी में असली हिस्सा राज्य सरकारों का है जिन्हें राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड ने इसी कारण दीर्घ कालीन ऋण दिया है। शेयर पूंजी के अलावा सहकारी चीनी फैक्टरियों की ब्लाक पूंजी की आवश्यकता औद्योगिक वित्त नियम के दीर्घकालीन ऋण से पूरी होती है। वर्ष के दौरान में औद्योगिक वित्त निगम ने 3.98 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकार किया, अब तक सहकारी चीनी फैक्टरियों को 25.65 करोड़ रुपया ऋण दिया जा चुका है। इन ऋणों के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकारों ने 50:50 के आधार पर गारन्टी की है। भारत के जीवन बीमा निगम ने हाल में ही पूरक ऋण देने की इच्छा प्रकट की है जिससे कि खण्ड का खर्च निकालने के लिए सहकारी चीनी फैक्टरियों को पूरक ऋण मिल सके।

सहकारी चीनी उत्पादक फैक्टरियों का राष्ट्रीय संघ

सहकारी चीनी फैक्टरियों के काम में तालमेल बैठाने और सुविधा पहुंचाने और इस क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और आत्मनियामक बनाने के लिए सहकारी चीनी फैक्टरियों के राष्ट्रीय संघ की स्थापना को गई है। आलोच्य वर्ष में संघ ने अपनी सदस्य संस्थाओं को सहायता देना शुरु कर दिया। इसी वर्ष में मद्रास और मैसूर राज्यों में भी सहकारी चीनी फैक्टरियों का संघ बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे दो राज्य संघ पहले ही हैं।

अन्य कार्य

सहकारी प्रोसेसिंग सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के प्रकाश में सहकारी प्रोसेसिंग कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए काम शुरु कर दिया गया है। विशेष रूप

से कपास, तिलहन, फल और सब्जी के क्षेत्र में। दूसरी योजना काल में निम्नलिखित 378 सहकारी प्रोसेसिंग एकांशों को सहायता दी गई।

कपास से बिनौले निकालने और गाठें बनाने का काम	84
चावल मिल और छिलका अलग करना	109
जूट की गांठ बनाने के संयंत्र	17
तेल निकालने के एकांश	20
मूंगफली के उपचार सम्बन्धी कारखाने	26
अन्य	122
कुल	378

1961-62 वर्ष में 109 प्रोसेसिंग एकांश स्थापित करने की संभावना है।

रुई धुनने और दाबने के एकांश	6
चावल मिल और छिलका अलग करना	49
जूट की गांठ बनाने के संयंत्र	5
तेल निकालने के एकांश	8
मूंगफली के उपचार सम्बन्धी कारखाने	1
अन्य	40
कुल	109

संग्रह की सुविधाएं

गांव की और बिक्री सम्बन्धी सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों को गोदाम सम्बन्धी सुविधाएं देती हैं जिससे उन्हें अपनी उपज से अधिक मुनाफा मिल सके। खेती के लिए आवश्यक सामान बांटने के काम के लिए भी गोदाम की सुविधाएं बहुत जरूरी हैं।

दूसरी योजना काल में बिक्री संस्थाओं और ग्राम ऋण संस्थाओं को मंडी के स्तर पर 1685 और गांव के स्तर पर 4900 गोदाम बनाने में सहायता दी गई।

1961-62 के वर्ष में बिक्री संस्थाओं और ग्राम संस्थाओं को मंडी स्तर पर 130 और ग्राम स्तर पर 1400 गोदाम बनाने में सहायता दी गई।

ठंडे गोदाम

फल और सब्जी जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों को अधिक दिन तक रखने का प्रबन्ध सहकारी विक्री व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। 1960 के अन्त तक देश में 11 सहकारी ठंडे गोदाम थे—पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में एक-एक और पंजाब में नौ—जिनकी कुल संग्रह क्षमता 2·30 लाखमन है।

1960-61 में 3 और सहकारी ठंडे गोदाम बना दिये जाएंगे जिस से सहकारी क्षेत्र में दूसरी योजना के अन्त तक कुल संग्रह क्षमता 3 लाख मन हो जाएगी। तीसरी योजना के दौरान में 31 और सहकारी ठंडे गोदाम बनाने और 10 वर्तमान गोदामों का विस्तार करने का इरादा है। 1961-62 में 3 सहकारी ठंडे गोदामों की सहायता करने की व्यवस्था की गई।

(3) सहकारी खेती

अग्रगामी परियोजनाएं

सहकारी खेती वह ऐच्छिक तरीका है जिससे किसान और भूमिहीन उत्पादक अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वे अपने छोटे खेत, पूरे उपयोग में न आने वाली जनशक्ति और अन्य साधनों को मिला कर काम करते हैं। मिलजुल कर खेती करने से उनका उत्पादन बढ़ता है, अधिक लोगों को रोजगार मिल जाता है और कुल आमदनी में वृद्धि होती है।

किसानों को सहकारी खेती के लाभ बताने के लिए परीक्षण योजनाओं का एक कार्यक्रम शुरू किया गया; 1961-62 में 64 चुने हुए जिलों में यह काम शुरू हुआ और फरवरी 1962 तक 224 सहकारी कृषि संस्थायें स्थापित कर दी गयीं। इन संस्थाओं को कुल सदस्य संख्या 3848 और उनका क्षेत्र 28670 एकड़ है। मार्च 1962 तक प्रति योजना 5 संस्थायें स्थापित कर दी जाएंगी और कुल योग 320 हो जाएगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसी 3200 अग्रगामी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी जिनके लिए 5.38 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है।

गैर अग्रगामी परियोजनाएं

फरवरी 1962 के अंत तक परीक्षण परियोजना क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर 380 सहकारी खेती संस्थाएं स्थापित की गई। इन संस्थाओं के 8523 सदस्य हैं और इनके पास 51506 एकड़ भूमि है। गैर-परीक्षण इलाकों की परीक्षण संस्थाओं को भी क्षेत्रों की सहकारी खेती संस्थाओं के समान ही आर्थिक सहायता मिल सकती है। केवल शेयर पूंजी में कोई सहकारी हिस्सा नहीं मिलता।

परीक्षण क्षेत्रों के बाहर की खेती संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में 6 करोड़ रुपया केन्द्र की ओर से रखा गया है, राज्यों की योजना में की गई व्यवस्था इससे अलग है।

वर्तमान संस्थाएं

30 जून 1961 को 2475 संयुक्त और सामूहिक खेती संस्थाएं थीं। इनमें से सभी संस्थाएं उस स्वीकृत प्रणाली पर नहीं चलती हैं जिसमें कहा गया है कि

भूमि का प्रबंध मिल जुलकर हो और सदस्यों का भारी बहुमत खेती के काम पर वस्तुतः जुट जाए। कुछ राज्यों में किए गए सर्वेक्षणों का परिणाम इस प्रकार है :

राज्य	संस्थाओं की संख्या	निश्चित प्रणाली के अनुसार काम करने वाली संस्थाएं
केरल	91	21
मध्य प्रदेश	175	70
पंजाब	643	182
राजस्थान	219	135
उत्तर प्रदेश	368	276

जो वर्तमान संस्थाएं अच्छी तरह काम कर रही हैं या जिनका विकास ठोस आधार पर किया जा सकता है उन्हें सहायता देकर बढ़ाने का विचार है। परीक्षण योजना में संस्थाओं का 10% तक वर्तमान संस्थाओं के अधिकार में रह सकता है।

सरकारी ज़मीन का आवंटन

तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था है कि जहां तक नीति का संबंध है सुधार कर खेती के योग्य बनाई गई भूमि का पट्टा देते हुए सरकार सहकारी खेती संस्थाओं को ही तरजीह देगी यही नीति सरकारी या गांव पंचायत के प्रबन्ध में आया हुआ खेती योग्य पड़ती जमीन के आवंटन और भूमि सीमा तय करने से फालतू बच गई भूमि के आवंटन, में भी बरती जाएगी।

सरकारी पड़ती भूमि और फालतू भूमि के वितरण के लिए नई और स्पष्ट नीति तय करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं।

(1) सरकारी भूमि के वह टुकड़े और फालतू सरकारी ज़मीन सहकारी खेती संस्थाओं को दे दी जाए। स्थानीय परिस्थितियों के प्रकाश में संस्था की कम से कम सदस्य संख्या और हर संस्था को दी जाने वाली भूमि तय की जा सकती है।

(2) अन्य क्षेत्रों में जहां ज़मीन के ऐसे टुकड़े उपलब्ध हों जिन पर अच्छी तरह सहकारी खेती की जा सके संयुक्त खेती के लिए सहकारी खेती संस्था को दिये जा सकते हैं।

(3) भूमि की सीमा तय करने के बाद बच रही फालतू ज़मीन जहां तक संभव हो सहकारी खेती संस्थाओं को दे दी जाए।

(4) जहां गांव में खेती के लिए मिलने वाली ज़मीन बहुत कम हो सहकारी खेती पर ज़ोर न दिया जाए। वहां भूमिदारों को सेवा सहकार संस्था में, यदि ऐसी संस्था हो तो शामिल होने के लिए तैयार किया जाए।

(5) सहकारी खेती संस्थाओं को बिना सुधरी हुई ज़मीन ही दे दी जाए। सुधार तभी किया जाए जबकि सरकार की ओर से सुधार कार्य आवश्यक हो। बिन सुधारी जमीन देने पर संस्थाओं को सुधार के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाए; और

(6) विभिन्न योजनाओं से अन्य कार्यों के लिए भी आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाए।

प्रत्येक समिति के लिए उत्पादन योजना

समितियों के सामने एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य कृषि उत्पादन कार्यक्रम और कुटीर उद्योग की योजनाएं सावधानी से तैयार कर लेना है। इन कार्यक्रमों पर अमल इतनी कुशलता से होना चाहिए कि सहकारी खेती के लाभ स्पष्ट हो सकें। मंत्रालय के सुझावों के अनुसार हर समिति से आशा की जाती है कि वह अगली फसल के लिए अपना उत्पादन कार्यक्रम तैयार कर लेगी। इन कार्यक्रमों से वर्तमान साधनों को मजबूत किया जा सकेगा। उनका अधिक अच्छा उपयोग किया जा सकेगा फसल उगाने का तरीका सुधारा जा सकेगा तथा खेती सम्बन्धी कार्यों में विविधता आ सकेगी। हर राज्य में हर संस्था की उत्पादन योजना बढ़ाने का काम चल रहा है।

बेंच मार्क सर्वेक्षण

सहकारी खेती समितियों के काम का मूल्यांकन और अनुमान लगाया जाएगा। इस सम्बन्ध में एक योजना राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी है। राज्यों के द्वारा स्वीकार योजना के अनुसार हर अग्रगामी समिती में उसकी स्थापना के समय बेंच मार्क सर्वेक्षण की व्यवस्था है जिससे संस्था में शामिल होते समय हर सदस्य की आर्थिक स्थिति आवश्यक बुनियादी जानकारी प्राप्त हो सके।

शिक्षा और प्रशिक्षण

सहकारी खेती सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण की एक आदर्श योजना सभी राज्यों को भेजी जा चुकी है। योजना में भिन्न बातें हैं :

(1) सचिवों के लिए 6 मास का प्रशिक्षण कोर्स।

(2) विस्तार कर्मचारियों के लिए 3 सप्ताह का ओरिएंटेशन कोर्स।

(3) खेती संस्थाओं के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों, अफसरों व अन्यों के लिए तीन दिन के ग्राम स्तर शिविर।

चालू वर्ष की समाप्ति तक कुछ चुने हुए विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में 13 सहकारी खेती शाखाएं—13 राज्यों में एक-एक – स्थापित की जायगीं। जम्मू और कश्मीर के शिक्षार्थियों को पड़ौसी राज्य पंजाब में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। 1961-62 के शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 11.36 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। पंजाब में सचिवों/मैनेजरों के लिए एक प्रशिक्षण क्रम शुरु किया गया है इसमें 36 व्यक्ति भाग ले रहे हैं। सात सहकारी खेती शाखाओं में प्रशिक्षण क्रम शुरु करने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है।

दिसम्बर1960 में हैदराबाद में सहकारी खेती के सम्बन्ध में हुई अखिल भारतीय गोष्ठी के बाद वर्ष के दौरान में पांच प्रादेशिक शिविर लगाये गए। इन शिविरों में 200 चुने हुए सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया जो परीक्षण परियोजना क्षेत्रों में काम करेंगे। उत्तर क्षेत्र का शिविर पटियाला में, पश्चिम का मजंरी (पूना के निकट) केन्द्रीय क्षेत्र का रुद्रपुर (उ. प्र.) पूर्वी क्षेत्र का रांची और दक्षिण क्षेत्र कोयम्बटूर में लगाया गया था।

18 सितम्बर 1961 से 78 ग्राम सेवकों के लिए नीलोखेड़ी में दो सप्ताह का अनुस्थापन क्रम चलाया गया। यह ग्राम सेवक प्रशिक्षित सचिवों के आने तक समितियों को कुशलता से चलाने में सदस्यों की सहायता करेंगे।

बड़ौदा में 15 से 31 जनवरी तक सहकारी खेती के सम्बन्ध में एक अनुस्थापन और अध्ययन शिविर जिसमें विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की सहकारी खेती शाखाके प्रिंसिपल और शिक्षक शामिल हुए। इस शिविर में कुल 40 व्यक्तियों ने भाग लिया।

सलाहकार बोर्ड

आलोच्य अवधि में राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड की दूसरी बैठक 29 मई 1961 को हुई। बोर्ड की कार्यकारी समिति की चार बैठकें हुईं।

राजीय सहकारी खेती सलाहकार बोर्डों की स्थापना 12 राज्यों में हो चुकी है। मैसूर में इस कार्य के लिए राज्य सहकारी विकास बोर्ड की एक उप-

समिति की स्थापना की गई है। शेष दो राज्य राजस्थान और पश्चिमी बंगाल ने भी बोर्डों की स्थापना का निश्चय कर लिया है परन्तु अभी तक स्थापना नहीं हुई है।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि परीक्षण केन्द्रों और कुछ अन्य स्थानों पर सहकारी खेती संस्थाएं बनाने के काम की शुरुआत ही हुई है। कुछ सिद्धांत संबंधी और कुछ अन्य बाधाओं—किसानों की मनोवैज्ञानिक आशंकाएं कार्यकर्त्ताओं में नीति और कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूरी समझ में कमी और कार्यविधि सम्बन्धी रुकावटों के कारण ऐसा होना अनिवार्य था। इन सब को सावधानी से हल करना ज़रूरी है। परीक्षण परियोजना की सफलता से मिली जुली खेती के लाभ किसान तक उसकी अपनी स्थिति में ही पहुंचने लगेंगे तब इस कार्यक्रम का अधिक विस्तार किया जा सकेगा। मंत्रालय राज्य सरकारों, राष्ट्रीय तथा राजीय सलाहकार बोर्डों, सभी का यही उद्देश्य है।

(4) अन्य सहकारी क्षेत्र

गैर कृषि ऋण संस्थाएं

30.6.59 को 11,084 गैर कृषि ऋण संस्थाएं थी जिनकी सदस्य संख्या 40.22 लाख और कामकाजी पूँजी 121.47 करोड़ थी। इसकी तुलना में 30.6.1960 को 11371 संस्थाएं, 42.31 लाख सदस्य और 137.40 करोड़ पूँजी थी। इन संस्थाओं ने 1959-60 में 117.40 करोड़ रुपया ऋण दिया जबकि 1958-59 में यह संख्या 110.18 करोड़ थी। यह संस्थाएं काफी सीमा तक अपने डिपाजिट पर निर्भर है। यह डिपाजिट 1959-60 में 83.27 करोड़ के थे जब कि 1958-59 में यह रकम 75.81 करोड़ थी।

उपभोक्ताओं की सहकारी संस्थाएं

30.6.59 को ऐसे 65 थोक स्टोर और 7168 प्राइमरी स्टोर थे जिनकी कुल बिक्री 47.99 करोड़ थी। 30.6.59 की तुलनात्मक संख्या क्रमशः 62,6857 और 34 करोड़ थी।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम बोर्ड द्वारा नवम्बर 1960 में उपभोक्ताओं की सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में नियुक्त समिति ने मई 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की। कमेटी की मुख्य सिफारिशें उपभोक्ता स्टोर की आर्थिक स्थिरता के स्वरूप वर्तमान एकांशों को फिर से सजीव करने और मजबूत करने

के लिये सघन आन्दोलन प्रबन्ध और काम काज सम्बन्धी कुशलता के उपाय, उपभोक्ता सामग्री के आयात के बारे में कुशल स्टोरों को तरजीह और विकास की प्रारम्भिक स्थिति में सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की प्रणाली के संबंध में थीं। अधिकांश सिफारिशों की पुष्टि राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के पिछले वार्षिक सम्मेलन में हो गई। और राज्य सरकारों ने उन पर अमल शुरु कर दिया है।

वित्तीय सहायता देकर तीसरी योजना में उपभोक्ताओं की सहकारी संस्थाओं के विकास का एक कार्यक्रम भी स्वीकार कर लिया गया है। 2200 कुल प्राइमरी स्टोर और हर राज्य में एक मुख्य थोक स्टोर के लक्ष्यों के मुकाबले 1960-61 में विभिन्न राज्यों में 8 शीर्ष थोक स्टोर और 312 प्राइमरी स्टोरों के संगठन/पुनर्जीवन का काम हाथ में लिया गया।

श्रम और निर्माण संबंधी सहकारी संस्थाएं

देश में 2,000 श्रमिक और निर्माण कार्य सम्बन्धी सहकारी संस्थाएं हैं। इस कार्य के महत्व को देखते हुऐ प्रायः सभी राज्य सरकारों ने श्रमिक और निर्माण संबंधी सहकारी संस्थाओं के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में समुचित कार्यक्रम बनाना स्वीकार कर लिया। 1961-62 में ऐसी 109 संस्थाएं बनाये जाने की संभावना है। देश में इस आन्दोलन के तेजी से विस्तार के लिए अक्टूबर 1961 में हुए राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में समुचित उपायों पर विचार किया गया। इस सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय बताये गए हैं।

(1) क्षमता के अनुसार श्रमिक सहकारी संस्थाओं को वह सभी काम दे दिये जायें जिनमें विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं और निश्चित न्यूनतम सीमा तक कुशलता वाले कार्य भी।

(2) एक सीमा तक कुशल कामों के लिये श्रमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा भेजे गए टेन्डरों को तरजीह।

(3) श्रमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा किये गए काम के बाद तुरन्त ही मेहनताने की अदायगी।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा पास किये गए बिलों पर केन्द्रीय वित्तीय संस्था श्रमिक सहकारी संस्थाओं को अग्रिम भुगतान।

(5) श्रमिक सहकारी संस्थाओं को सिक्योरिटी डिपाज़िट (जमानत) और अरनेस्ट मनी से छूट।

विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएं

(1) सहकारी छापाखानें

साक्षरता के प्रसार पर बल देने के परिणाम स्वरूप पाठ्य पुस्तकों, लोकप्रिय साहित्य और समाचारपत्रों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए वित्तीय सहायता से युक्त एक योजना बनाई गई जिससे लेखकों और जनता को सस्ते मूल्य पर साहित्य उपलब्ध कराने में दिलचस्पी रखने वालों को सहकारी मुद्रण व प्रकाशन संस्था के विकास में मदद दी जा सके। केरल की सरकार ने 1961-62 में योजना पर अमल आरम्भ कर दिया है।

(2) रिक्शा चालकों की सहकारी संस्था

परीक्षण के तौर पर रिक्शा चालकों की सहकारी संस्था के विकास की योजना बनाई गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उक्त योजना के लिये वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था कर दी गई, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार केरल, मैसूर, मद्रास और पंजाब ने 1961-62 में योजना पर अमल आरम्भ कर दिया है।

अध्याय 3

सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा

सहकारिता के विकास की किसी भी योजना की सफलता के लिये सहकारिता के प्रशिक्षण और शिक्षा की समुचित व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये—समय और विषय वस्तु का चुनाव उचित होना चाहिये जिससे आवश्यक कोटी के कर्मचारी विभिन्न कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिये उपलब्ध किये जा सकें। एक अध्ययन दल ने सहकारिता के प्रशिक्षण और शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था पर विस्तार से विचार किया; अध्ययन दल की रिपोर्ट वर्ष के दौरान में प्राप्त हो गई।

दल की रिपोर्ट पर राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया और सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किए:

(1) सहकारिता की शिक्षा और प्रशिक्षण की जिम्मेवारी राष्ट्रीय और राजीय स्तर पर सहकारी आन्दोलन पर ही है।

(2) सभी जूनियर सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रशासन राजीय सहकारिता संघों को सौंप देना चाहिये। यह संघ राज्य सरकारों की स्वीकृति से स्थापिता विशेष समितियों के जरिए केन्द्रों का संचालन करे। जूनियर सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्रो का खर्चा केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों ही उठायें—जैसा आजकल भी हो रहा।

(3) मध्यम दर्जे के सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रशासन भी राजीय सहकारी संघों को सौंप दिया जाये। राज्य संघों को मिले इन केन्द्रों का संचालन विशेष समिति के जरिए किया जाये जिनकी नियुक्ती राज्य सरकारों की सलाह से हो। राज्यों में जहां सरकारें यह समझें कि राज्य के सहकारिता संघ मध्यम दर्जे के प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे केन्द्र फिलहाल केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं के जरिए ही चलते रहें। मध्यम दर्जे के सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्रों का खर्चा भारत सरकार ही दें।

4. केन्द्रीय संगठन के कार्य निम्नलिखित हैं :

(1) सहकारिता विभागों और सहकारिता संस्थाओं के वरिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था की स्थापना।

(2) अन्तर राज्य आधार पर मध्यम दर्जे के प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न विषयों पर विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।

(3) केन्द्रीय संस्थान और मध्यम दर्जे के संस्थान तथा अन्य सहकारी संस्थानों विश्वविद्यालयों आदि में अनुसन्धान की व्यवस्था करना तथा अनुसन्धान कार्यक्रमों का समन्वय करना।

(4) उन राज्यों में मध्यम दर्जे के अनुसन्धान केन्द्रों का संचालन करना जो राज्य सहकारिता संघों को नहीं सौंपे गए हैं।

(5) सहकारिता के प्रशिक्षण और शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रम के समन्वय का भार सम्भालना। इसमें सदस्यों की शिक्षा जोकि आजकल राष्ट्रीय सहकारिता संघ और राज्य सहकारिता संघों द्वारा किया जा रहा है, विशेष रूप से पाठ्यक्रम, परीक्षा की प्रणाली और नियम तय करना तथा प्रशिक्षण और शिक्षा का स्तर बनाए रखना शामिल हैं।

(6) केन्द्र में सारा कार्य भारत के राष्ट्रीय सहकारिता संघ को सौंप देना चाहिए जो भारत सरकार की सहमति से इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करे। इस समिति को पूरा अधिकार प्राप्त होना चाहिये और अपने काम के लिए इसे अलग कर्मचारी मंडल नियुक्त कर लेने चाहिये। इस कार्य के खर्च का हिसाब-किताब राष्ट्रीय सहकारिता संघ के अन्य खर्चे के हिसाब से अलग होना चाहिए। राष्ट्रीय सहकारिता संघ की विशेष समिति को निर्धारित कार्यों के लिए आवश्यक धन भारत सरकार को एक निश्चित आधार पर देना चाहिये।

ऊपर की व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए।

7. प्राइमरी और सेकेन्डरी स्कूलों में सहकारिता को शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आसान पाठ के द्वारा सामाजिक अध्ययन के विषय में महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाओं का परिचय करा देना चाहिए। बी० ए० (अर्थ-शास्त्र) और बी० कॉम० पाठ्यक्रमों में सहकारिता ऐच्छिक विषय के रूप में रखना चाहिए। कृषि की उपाधि के पाठ्यक्रम में सहकारिता का स्थान होना चाहिए। सहकारिता और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की भी व्यवस्था

करनी चाहिये। स्कूल कालेज और विश्वविद्यालयों में इस विषय के क्रियात्मक ज्ञान के लिए सहकारी स्टोर, कैन्टीन और रुपया बैंक संगठित किये जाने चाहिए।

8. सहकारी संस्था कानून में कानून द्वारा ही ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिस से मुनाफा कमाने वाली संस्थाओं को राज्य सहकारिता संघों के शिक्षा कोष में योगदान करना अनिवार्य हो।

सहकारिता के प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में उक्त निर्णय दूरगामी महत्व के हैं और उस स्वीकृत आदर्श का भी पालन करते हैं जिसके अनुसार सहकारिता एक ऐच्छिक आन्दोलन है जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं की मुख्य भूमिका है। इन निर्णयों के अनुसार राष्ट्रीय और राजीय स्तर पर उपसमितियां बनाई जारही हैं जो सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान का संचालन अपने ऊपर ले सकें आशा की जाती है कि सहकारिता की शिक्षा और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी 1962-63 में इन विशेष समितियों को सौंप दी जाएगी।

स्कूल और कालेजों में सहकारिता की शिक्षा चालू करने का सुझाव शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है और आवश्यक कार्यवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। स्कूलों में सहकारी स्टोर स्थापिक करने की योजना तैयार करके प्रचारित की गई है। अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने कॉमर्स उपाधि के पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के रूप में 'सहकारिता' को शामिल कर लिया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपने एक ग्रामीण संस्थान में 1961 के दौरान में सहकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। आन्ध्र और बड़ौदा विश्व-विद्यालयों में सहकारिता में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाए उपलब्ध हैं। विश्व-विद्यालयों के छात्रों में सहकारिता का विषय लोकप्रिय बनाने के लिए विश्वविद्या-लयों और कालेजों में सहकारी स्टोर खोलने की योजना भी तैयार की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अन्य-विश्वविद्यालयों से इस योजना को चालू करने की सिफ़ारिश की है।

अनेक विश्वविद्यालयों में सहकारिता के विषय पर निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। फरवरी 1962 में दिल्ली में इस संबन्ध में राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता भी हुई।

विस्तार निदेशालय (खाद्य और कृषि मंत्रालयों द्वारा संचालित ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों में सर्वोत्तम सहकारी उपभोक्ता स्टोर छाटने के लिए एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

सरकारी अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

सहकारिता प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति आलोच्य वर्ष में भी निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाती रही—

1. पूना में वरिष्ठ अधिकारियों के पाठ्यक्रम ।
2. पूना, मद्रास, राँची, इन्दौर, मेरठ, कल्याणी, फैजाबाद, गोपालपुर, आन-सी, तिरुपति, हैदराबाद, भावनगर, पटियाला और कोटा स्थित 13 प्रशिक्षण केन्द्र (जो पहले पांच माध्यमिक और 8 खण्ड स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में जाने जाते थे) ।
3. पूना, मद्रास, राँची, इन्दौर और मेरठ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में सहकारी हाट व्यवस्था के विशेष पाठ्यक्रम ।
4. मद्रास, के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में भूमि बन्धक बैंकिंग के विशिष्ट पाठ्यक्रम ।

इसके अतिरिक्त सहकारिता प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति ने सहकारी कर्मचारियों के विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए कई तदर्थ पाठ्यक्रम भी चलाए। आलोच्य वर्ष में औद्योगिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया। अभी तक इस प्रकार के दो पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

सहकारी विभागों और संस्थाओं के कनिष्ठ सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारें सहकारिता प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति की देख-भाल में 66 केन्द्र चला रही हैं ।

उपरिलिखित पाठ्यक्रमों में से हरेक ने कितनी प्रगति की है उसका विवरण इस प्रकार है :—

श्रेणी	31 दिसम्बर 1960 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	31 दिसम्बर 1961 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	केन्द्रों की संख्या
1 वरिष्ठ	543	569	1
2 (i) माध्यमिक	1,182	1,424	5
(ii) खण्ड स्तर	2,802	3,625	8

3 विशिष्ट कर्मचारी			
(i) हाट व्यवस्था	1,155	1,436	5
(ii) भूमिबन्धक बैंकिंग	344	419	1
4 कनिष्ठ	32,000	*37,100	66

* ये आंकड़े 30.9.1961 तक के हैं।

केन्द्रीय सरकार ने सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा योजनाओं पर 1960-61 में 46.78 लाख रु० खर्च किये। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने पूना के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण का तथा 5 केन्द्रों में माध्यमिक तथा विशिष्ट कर्मचारियों के प्रशिक्षण का खर्च पहले की तरह उठाया।

गैर सरकारी कार्यकर्ताओं की शिक्षा

अखिल भारतीय सहकारी संघ (आल इण्डिया कोआपरेटिव यूनियन) ने सदस्यों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी निभाई। इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना यह है, कि अखिल भारतीय सहकारी संघ के संविधान में संशोधन करके उसे और अधिक संघीय बना दिया गया। संशोधित संविधान के अनुसार अब इसका नाम भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ (नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया) हो गया है।

शिक्षा की इस योजना को पूरा करने की दिशा में काफी सफलता मिली है जो इस तालिका से स्पष्ट हो जाती है :—

चलते फिरते दलों की संख्या	प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की संख्या		
	पदाधिकारी (5 से 6 सप्ताह)	प्रबन्ध समिति के सदस्य (7 से 10 दिन)	सदस्य और गैर सदस्य (3 दिन)
31-12-1960 की स्थिति 335	21,945	80,156	6,04,300
31-12-1961 की स्थिति 415	40,972	1,48,174	11,44,000

राष्ट्रीय सहकारी संघ उन अनुदेशकों को जो इस वर्ष चलते फिरते दलों के अध्यक्ष हैं, प्रशिक्षण देने के लिए दो-दो महीने के दो पाठ्यक्रम पूरे किए इसके अतिरिक्त इस संघ ने सहकारी प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए 10-10 दिन के दो प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम और फरवरी तथा मार्च 1962 में सहकारी विकास अधिकारियों की गोष्ठी आयोजित की। इस कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती रही।

गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं को अन्य राज्यों तथा अपने ही राज्य के अन्य जिलों में सहकारिता के विकास से परिचित कराने के लिये अपने राज्य तथा अन्य राज्यों में अध्ययन यात्राओं पर भेजने की योजना को अन्तिम रूप दिया गया और राज्य सरकारों से उसे अपनाने की सिफारिश की गई।

प्रशिक्षण सुविधाओं का आदान-प्रदान

सहकारित विभाग, कोलम्बो योजना के अधीन दक्षिण और दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों के प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता रहा। इस वर्ष इन्डोनेशिया के 5, थाईलैंड के 2 और लंका के एक प्रशिक्षार्थी को सहकारिता का प्रशिक्षण देने की सुविधाएं प्रदान की गईं। इसके अलावा निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी गईं।

(1) टी० सी० एम० कंट्री प्रोग्राम के अधीन थाईलैंड के 6 अधिकारियों के लिये अध्ययन यात्राएं आयोजित की गईं।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यक्रम के अधीन फ़िलीपीन्स के 1 और अफ़िगानिस्तान के 1 उम्मीदवार को प्रशिक्षण दिया गया।

(3) पाकिस्तान के दो अधिकारियों को गन्ने की सहकारी हाट व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया।

भारत सरकार ने विदेशों की सहकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित निम्नलिखित गोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया :—

(i) अप्रैल, 1961 में टी० सी० एम० द्वारा लंका में कृषि ऋण पर आयोजित प्रथम उत्तर, पूर्व दक्षिण एशिया गोष्ठी।

(ii) जून-अगस्त, 1961 में बर्लिन में विकासशील देशों के जर्मन इन्स्टीट्यूट द्वारा 'विकासशील देशों के लिये सहकारिता' पर आयोजित गोष्ठी।

(iii) 27 नवम्बर से लेकर 2 दिसम्बर, 1961 तक लाहौर में इण्टर

नेशनल कोआपरेटिव एलायन्स द्वारा सहकारी ऋण पर आयोजित सम्मेलन।

(iv) 23 अक्तूबर से 6 नवम्बर 1961 तक नई दिल्ली में आई० सी० ए० द्वारा सहकारी समाचार-पत्रों और प्रचार पर आयोजित सम्मेलन।

(v) 5 से 18 मार्च, 62 तक नुआरा एलिया (लंका) में सहकारी हाट व्यवस्था, प्रोसेसिंग और उपभोक्ता सहकारी समितियों से सम्बन्ध पर आयोजित पाठ्यक्रम।

टी० सी० एम० कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय सहकारी संघ का एक अधिकारी दृश्य श्रव्य साधनों के प्रशिक्षण के लिये 6 माह के लिये अमरीका और जापान भेजा गया।

नेशन वाइड इन्श्योरेन्स कम्पनीज,अमरीका का 5 सदस्यों का दल 14 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 61 तक यह अध्ययन करने के लिये भारत में रहा कि अमेरिका के सहकारी संगठन किस प्रकार भारत की सहकारी समितियों के विकास में सहायक हो सकते हैं। इस दल ने योजना आयोग, इस मन्त्रालय और भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों से विचार-विमर्श किया।

अध्याय 4

सहकारी कानून

सहकारी कानून

सहकारी समितियों से सम्बद्ध कानून बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्देश के अनुसार भारत सरकार बराबर इस बात पर बल देती रही कि सहकारी कानूनों और प्रक्रियाओं के सरल और, उदार बनाने की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए।

आलोच्य वर्ष में इस मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों द्वारा तैयार किए गए सहकारी समिति विधेयकों की रूपरेखा का अध्ययन किया और अपने सुझाव राज्य सरकारों को भेज दिए। मद्रास और गुजरात विधान मंडलों ने इस वर्ष इन विधेयकों पर विचार करके उन्हें अंगीकार कर लिया। 1960 में महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश के विधान मण्डलों द्वारा स्वीकृत सहकारी समिति विधेयकों को 1961 में राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई।

इस वर्ष मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के सहकारी भूमि-बन्धक बैंक विधेयकों की रूपरेखा का भी अध्ययन किया गया और उन पर भारत सरकार की राय राज्य सरकारों को भेज दी गई।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम को प्रशासित करने का उत्तर-दायित्व केन्द्रीय सरकार का हैं। यह अधिनियम उन सहकारी समितियों का कार्य नियंत्रित-नियमित करता है जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय रजिस्ट्रार के सारे अधिकार विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों को सौंप दिए गए हैं। अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी गड़बड़ी से बचने के लिए और एक राज्य की सहकारी समितियां दूसरे राज्य की सहकारी समितियों के कार्य में दखलन्दाजी न दे पाएं, इस दृष्टि से हाल में यह निर्णय किया गया है कि अनेक इकाइयों वाली समिति को रजिस्टर कराने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले लेनी चाहिए। अनुमति लेने की जिम्मेदारी राज्य के रजिस्ट्रार की होगी, जो इस कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अधिकारों का उपयोग करता है।

अध्याय 5

सूचना और सार्वजनिक सम्पर्क

साधारण जनता को सहकारिता के बारे में बुनियादी सूचनाएं और जानकारी पहुंचाने की दृष्टि से सार्वजनिक संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करने के लिए 1961-62 में एक समन्वित प्रचार कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इसमें पुस्तकें, पुस्तिकायें, अखबारों के लिए विज्ञप्तियां, फिल्में और दृश्य-श्रव्य साधनों को तैयार करने की व्यवस्था है। आलोच्य वर्ष में सहकारिता पर कई प्रकाशन निकाले गए। इनकी सूची परिशिष्ट 5 में दी गई है।

विभिन्न प्रकाशनों में से ये उल्लेखनीय हैं--

1. सहकारी समाज द्वारा सामुदायिक विकास
2. सहकारी खेती-नीति और कार्यक्रम
3. 'यूनाइटेड वे स्टैंड' शीर्षक प्रकाशन में सफल सहकारी समितियों की कहानियां।
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति का संगठन कैसे करें
5. सहकारिता की शिक्षा
6. तीसरी योजना में सहयोग।

सहकारी समाज शीर्षक ग्रन्थ तैयार हो चुका है और इसकी छपाई हो रही है। इसमें सहकारिता आन्दोलन का इतिहास उसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन और देश में उसके सम्भावित विकास की ओर संकेत किया गया है।

इस वर्ष सेवा सहकारी समितियों, सहकारी हाट व्यवस्था और सहकारी श्रम समितियों पर फिल्में बनाई और वितरित की गई। सहकारी खेती और मछुओं की सहकारी समितियों पर फिल्में तैयार की जा रही हैं।

(परिशिष्ट 6)

अध्याय 6

राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम बोर्ड

दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ गोदाम बोर्ड ने भी पांच वर्ष पूरे कर लिए। इसलिए आलोच्य वर्ष में बोर्ड के छटवें साल की गतिविधियों की चर्चा है।

पिछले वर्षों में बोर्ड ने देश में सहकारिता के विकास की योजना बनाने और उसके लिए वित्त की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। तीसरी योजना में सहकारिता के विकास का पहले से बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसके सन्तोषजनक रीति से कार्यान्वित करने में बोर्ड को अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उसे समुचित प्रशिक्षण प्राप्त टेक्नीकल और प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे।

यह बोर्ड निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता रहा :—

(क) सहकारी हाट व्यवस्था और प्रोसेसिंग समितियों तथा राज्यों के गोदाम निगमों की हिस्सा-पूंजी में योगदान करने के लिए ऋण,

(ख) सहकारी समितियों द्वारा गोदाम बनाए जाने के लिए ऋण और आर्थिक सहायता,

(ग) राज्यों में सहकारिता विभागों में अतिरिक्त कर्मचारियों और सहकारिता संस्थाओं के प्रबन्धक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आर्थिक सहायता।

बोर्ड इस प्रकार की सहायता दे सके, इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर 1961 तक 2.50 करोड़ रुपये मंजूर किये थे। इसमें केन्द्रीय सरकार से बोर्ड को मिली 40 लाख रुपये की वह रकम भी शामिल है जो केन्द्रीय गोदाम निगम के 40,000 हिस्सों की अर्थना राशि (काल मनी) की पांचवीं किश्त की

अदायगी के रूप में बोर्ड द्वारा दी जा सके। इसके अलावा अनुमान है कि वित्तीय वर्ष यानी मार्च 1962 के अन्त तक 4.16 करोड़ रुपये की और मंजूरी दे दी जाएगी।

राज्यों की वार्षिक सहकारिता विकास योजनाओं के निर्धारण के विषय में कार्यकारी दल ने राज्य सरकारों से जो विचार विमर्श किया उसमें बोर्ड ने भी सक्रिय भाग लिया।

सहकारी प्रोसेसिंग समितियों और उपभोक्ता सहकारी समितियों की समस्याओं के अध्ययन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त दो उपसमितियों ने आलोच्य वर्ष में अपनी-अपनी रिपोर्ट दे दी। इनकी सिफारिशों को बोर्ड ने आमतौर पर स्वीकार कर लिया। अक्तूबर, 1961 में केन्द्रीय सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राज्य मंत्री सम्मेलन में भी इन रिपोर्टों पर, जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है, विचार किया गया।

इस वर्ष बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में पटसन, आन्ध्र प्रदेश में धान और राजस्थान में गेहूँ की बिक्री की सहकारी हाट-व्यवस्था के विकास की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक दल भी नियुक्त किया। इस अध्ययन दल ने पश्चिम बंगाल में जूट की बिक्री और आंध्र प्रदेश में धान की बिक्री से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार कर लिया है। आशा है कि तीसरे विषय पर भी उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाएगी।

सभी बड़े-बड़े क्षेत्रों में सहकारिता विकास की नीति को कार्यान्वित करना गोदाम बोर्ड की जिम्मेदारी है। आशा है कि बोर्ड शीघ्र ही सभी महत्वपूर्ण कार्य-कलापों के लिए अलग-अलग कार्यकारी समितियाँ नियुक्त करेगा। ये समितियां सहकारी ऋण, सहकारी बिक्री और प्रोसेसिंग उपभोक्ता स्टोर और इस तरह के उन कार्यों के बारे में होगी, जिनके विकास के लिए विशेष प्रयास की जरूरत महसूस की जाएगी। इन कार्यकारी उपसमितियों के लिए पर्याप्त सहायक कर्मचारी रहेंगे जो विधिपूर्वक निरीक्षण करने में मदद करेंगे, ताकि इस कार्य के लिए नियत राशि का समुचित उपयोग हो सके।

अध्याय 7

1962-63 के कार्यक्रमों की रूपरेखा

तीसरी पंजवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास के लिए नियत राशि. जो राज्यों की योजनाओं में भी सम्मिलित कर ली गई है, 69.9 करोड़ रु० है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने सहकारी खेती और प्रशिक्षण योजनाओं के लिए 8 करोड़ रु० की व्यवस्था की है। पूर्वी राज्यों को सहकारिता विकास कार्यक्रमों में विशेष अतिरिक्त सहायता देने के लिए भी केन्द्रीय सरकार ने अलग से एक करोड़ रुपया की रकम रखी है।

1962–63 के लिए राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों की योजनाओं में 12.75 करोड़ रु० रखे गए हैं। विभिन्न योजनाओं पर यह राशि इस प्रकार खर्च की जाएंगी :—

		(करोड़ रु०)
(क)	ऋण	4.18
(ख)	बिक्री (गोदामों समेत)	3 32
(ग)	प्रोसेसिंग (सहकारी चीनी कारखानों समेत) ...	1.19
(घ)	सहकारी खेती	1.30
(ङ)	प्रशिक्षण और शिक्षा ...	1.18
(च)	उपभोक्ता स्टोर ...	0.24
(छ)	विविध	0.41
(ज)	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी	0.93
	योग	12.75

सहकारी ऋण

1962-63 में 5000 नई सेवा सहकारी समितियां संगठित करने का लक्ष्य है। पिछले वर्षों के मुकाबले इसका लक्ष्य कुछ नीचा रखना आवश्यक था क्योंकि अधिकांश राज्यों में मौजूदा प्राथमिक ऋण के ढांचे को मजबूत बनाने पर अधिक बल दिया जारहा है।

इस वर्ष मौजूदा कमजोर और नीष्क्रिय को पुनरुज्जीवित करने के कार्यक्रम पर विशेष महत्व दिया गया है। 1962-63 में 16300 और समितियों में नई जान फूंकने का कार्यक्रम है।

1962-63 में ग्राम समितियों के सदस्यों की संख्या को 2.8 करोड़ तक पहुँचा देने का कार्यक्रम है। तीसरी योजना में यह लक्ष्य 3.7 करोड़ रखा गया है। 1962-63 का लक्ष्य पूरा हो जाने पर 36 प्रतिशत देहाती आबादी इन समितियों से लाभान्वित होने लगेगी। तीसरी योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि योजना की अवधि पूरी होने तक लगभग 52% ग्रामीण जनसंख्या सहकारिता के सूत्र में बंध जाए। तथापि सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में वृद्धि कई राज्यों में धीमी रही है। इसलिए राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे सदस्यता के लक्ष्य और विभिन्न स्तरों पर साधनों के विकास के लक्ष्य जिला परिषदों और पंचायत समितियों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र के हिसाब से तय किए जाएं और ऐसा करते समय इन संस्थाओं से परामर्श ले लिया जाए और इन सभी स्तरों के लिए स्पष्ट कार्यक्रम बनाए जायें।

अनुमान है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋणों की राशि 1962-63 में 300 करोड़ रु० तक पहुँच जाएगी। तीसरी योजना में 1965-66 में 530 करोड़ रु० के अल्प-कालीन और मध्यमकालीन ऋण देने की व्यवस्था की गई है। जहां तक दीर्घ-कालीन ऋणों का प्रश्न है 1962-63 के अन्त तक अनुमान है कि बकाया राशि 65 करोड़ रु० तक पहुंच जाएगी। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को इस वर्ष में 10 से 12 करोड़ रु० तक के ऋण पत्र (डिबेन्चर) जारी करने पड़ सकते हैं। आशा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जीवन बीमा निगम इन डिबेंचरों को अपनी गारंटी देते रहेंगे। तीसरी योजना के अन्त तक 150 करोड़ रुपये की बकाया रकम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋणों में वृद्धि करने मे सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि विभिन्न स्तर के सहकारी संगठन जमा और हिस्सा पूंजी के रूप में अपने आंतरिक

साधनों को तेजी से विकसित नहीं कर पा रहे हैं। योजना पर विचार विमर्श के समय हर राज्य की वस्तु-स्थिति और 1962-63 के तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और उचित लक्ष्य सुझाए गए। जिन मामलों में कोई खास कार्यक्रम नहीं बनाए गए, उनमें ऐसे कार्यक्रम बनाने की सलाह दी गई—1962-63 के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थानों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 135 नई शाखायें खोलने की व्यवस्था है। जहां तक दीर्घकालीन ऋणों का सम्बन्ध है, 5 या 6 राज्यों को छोड़कर यह आन्दोलन अभी शैशवावस्था में ही है। 1962-63 में मुख्य रूप से यह कोशिश की जाएगी कि संस्थागत ढांचा तैयार किया जाए। इस वर्ष के कार्यक्रम में 70 नए प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक खोलने का फैसला किया गया है।

कृषि के विकास के लिए मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के रूप में अधिक पूंजी लगाने की दृष्टि से एक कृषि विकास वित्त निगम खोलने की व्यवस्था की गई है। यह निगम मुख्य रूप से कृषि उत्पादन की विशेष योजनाओं के लिए धन देगा।

1962-63 की वार्षिक योजना में पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और सहकारी केन्द्रीय बैंकों को बट्टे खाते के सुरक्षित कोष के लिए निश्चित अनुदान दें जिससे वे जनता के कमजोर वर्गों को अधिकाधिक ऋण दे सकें। इसके लिए 1.29 करोड़ रु० रखे गए हैं। यह राशि 1961-62 और 1960-61 में दिए गए ऋणों के अन्तर पर क्रमशः 3% और 1% के आधार पर निश्चित की गई है।

बिक्री, गोदाम और प्रोसेसिंग

1962-63 में 110 नई प्राथमिक हाट समितियां खोली जायेंगी, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसी 600 समितियां खोलने का लक्ष्य है।

तीसरी योजना में मण्डियों में 980 गोदाम और देहाती इलाकों में 92,000 गोदाम खोलने का लक्ष्य है। इनमें से 170 गोदाम मण्डियों में और 1950 गोदाम देहाती इलाकों में 1962-63 की अवधि में खोले जायेंगे। 8 नए ठंडे गोदाम भी खोले जायेंगे।

तीसरी योजना की अवधि में 783 सहकारी प्रोसेसिंग इकाइयां खोलने का लक्ष्य है। इनमें से 120 1962-63 में खोली जायेंगी।

सहकारी खेती

तीसरी योजना में आजमाइशी योजना कार्यों में 3,200 सहकारी खेती

समितियां खोली जायगी। इनमें से 800 सहकारी खेती समितियां 1962-63 में खुलने वाली हैं।

आजमाइशी योजना-कार्यों के बाहर सहकारी खेती समितियां खोलने का कोई लक्ष्य तीसरी योजना में नहीं रखा गया है। लेकिन 1962-63 की अवधि में आजमाइशी योजना-कार्यों के बाहर 1000 और समितियां खुलने का अनुमान है।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर

1962-63 के कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं के 7 शीर्ष थोक सहकारी स्टोरों और 400 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। विविध प्रकार की सहकारी समितियों को सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है।

सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा

कुछ राज्यों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1962-63 में 3 से 5 तक नए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे, जिनमें कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सहकारी समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों को शिक्षा देने के लिए 1962-63 में 200 घूमने-फिरने वाले शिक्षा दल संगठित किए जायेंगे।

सामान्य

आशा है कि 1962-63 का सहकारिता के विकास के कार्यक्रम से, जिसका संक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया गया है, विकास की गति बढ़ाने में योग मिलेगा।

निष्कर्ष

राज्यों में सहकारिता का विकास कुल मिलाकर असंतुलित ही रहा। ऋण-व्यवस्था की ओर अत्यधिक ध्यान दिए जाने के कारण यह विकास कुछ हद तक एकांगी रहा। अब इन असंगतियों को ठीक किया जा रहा है। पिछले वर्षों में यह प्रवृत्ति देखने में आई कि सहकारिता आन्दोलन के लाभ प्रायः बड़े-बड़े किसानों को ही मिलते रहे हैं। इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कानून में संशोधन किया गया है। इसके फलस्वरूप अब यदि किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाने से इंकार कर दिया जाए तो वह इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। सहकारी समितियों को दिए जाने वाले अनुदानों के साथ कुछ ऐसी शर्तें जोड़

दी गई हैं, जिससे समितियां सीमान्त और सीमान्त से नीचे के किसानों को अधिक ऋण दे सकेंगी। अभी तक सहकारी खेती के लाभों और सुविधाओं को उतने अधिक लोग नहीं समझते जितनी आशा की गई थी। आशा की जाती है कि आजमाइशी योजना-कार्यों में सहकारी खेती समितियों की अच्छी सफलता देखकर सहकारी खेती की लोकप्रियता बढ़ेगी।

अगले वर्ष सहकारिता आन्दोलन के संगठन को मजबूत बनाने की और जिन क्षेत्रों में आन्दोलन कमजोर है वहां कमजोरियों को दूर करने की विशेष कोशिश करनी पड़ेगी। राज्य के भीतर और बाहर की सफल सहकारिता संस्थाओं के कार्य के अध्ययन के लिए अध्ययन-यात्रायें आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिससे सब लोग उनके अनुभव से लाभ उठा सकें। सहकारी हाट-व्यवस्था के ढांचे को सहकारी ऋण के साथ-साथ बढ़ाना होगा, जिससे ऋण और बिक्री में आवश्यक सम्बन्ध बना रह सके। इसका अर्थ हुआ कि कृषि सम्बन्धी प्रोसेसिंग का अब इससे कहीं बड़ा भाग सहकारी समितियों की मार्फत हो। सहकारी प्रोसेसिंग इकाइयों की तकनीकी, प्रशासनिक और आर्थिक समस्याओं की ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उपभोक्ता सहकारी समितियों, श्रम-निर्माण सहकारी समितियों आदि का भी पर्याप्त विस्तार करना होगा। सहकारिता आन्दोलन का नियमन खुद-ब-खुद होता चले, इसके लिए राष्ट्र और राज्य स्तर पर विशुद्ध और मजबूत संघीय संगठन बनाने होंगे। जैसा कि फैसला किया जा चुका है, सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण और शिक्षा की जिम्मेदारी सहकारी समितियों के गैरसरकारी संगठनों को ही सौंप दी जाएगी। आगामी वर्ष में यह मन्त्रालय और राज्य सरकारें मुख्य रूप से इन्हीं समस्याओं को सुलझाने की ओर ध्यान देंगी।

परिशिष्ट 1

भारत सरकार

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली 22 जुलाई 1961
31 आषाढ़ 1883

अधिसूचना

नं० 8—11/61 -योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपने सहकारी नात सम्बन्धी प्रस्ताव में सिफारिश की कि ग्राम स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह ग्राम सहकारी समिति और ग्राम पंचायत को सौंप दी जाए। ग्राम स्तर पर इन दो संस्थाओं को और इस ढांचे की अन्य उच्च-स्तरीय संस्थाओं को आपस में मिलजुल कर और एक दूसरे की पूरक बनकर काम करना चाहिये। पंचायती राज पिछले कुछ समय से थोड़े से राज्यों में काम कर रहा है और इसी अरसे में कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं कि सहकारी समितियों मे उसके कैसे सम्बन्ध होने चाहिये। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि उनके आपसी संबंधों के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी दल या वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया जाये।

2. इस कार्यकारी दल के लिए निर्दिष्ट विषय इस प्रकार होंगे—

(क) कुछ चुने हुये राज्यों में पंचायती राज के कार्य कलापों का इस दृष्टि से अध्ययन करना कि उसके सहकारी समितियों के कैसे सम्बन्ध हैं और सहकारी समितियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है,

(ख) ऐसे उपाय सुझाना जिन से सहकारी समितियां और पंचायतें बिना किसी संघर्ष के अपना 2 काम कर सकें और एक दूसरे को मजबूत बना सकें।

(ग) पंचायतों और सहकारी समितियों के कार्यों का सीमा निर्धारण करने संबंधी सुझाव देना।

(घ) इन दोनों प्रकार की संस्थाओं के बीच तालमेल के ठोस उपाय सुझाना।

3. इस कार्यकारी दल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं—

1. श्री एस. जी. मिश्र — अध्यक्ष
संसदीय सचिव,
सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

2. श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही, — सदस्य
संसद सदस्य, उड़ीसा

3. श्री एच. सी. माथुर — "
संसद सदस्य, राजस्थान,

4. श्री एस. एम. जोशी, — "
एम. एल. ए, महाराष्ट्र

5. श्री पी. केशवराव, — "
अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश,
राज्य सहकारी यूनियन

6. श्री जी. डी. गोस्वामी, — सदस्य सचिव
संयुक्त सचिव
सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

7. श्री. ए. प्रकाश, — सदस्य
पंचायत आयुक्त
सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

8. श्री रामसिंह — सदस्य
संयुक्त विकास आयुक्त, राजस्थान

4. दल जरूरत पड़ने पर यथा अवसर दौरे कर सकता है और विभिन्न राज्यों का दौरा करते समय सदस्य सहयोजित कर सकता है।

5. कार्यकारी दल का सदर मुकाम नई दिल्ली होगा।

ह० एम. आर. भिड़े
सचिव भारत सरकार

परिशिष्ट 2

भारत सरकार

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली 28 अगस्त 1961

6 भाद्र 1883

अधिसूचना

नं० 8–11/61--योजना। पंचायतों और सहकारी समितियों के बारे में कर्मचारी दल नियुक्त करने की अधिसूचना सं 8—11/61—योजना दिनांक 22 जुलाई 1961 में आंशिक संशोधन करते हुये भारत सरकार ने फैसला किया है कि श्री ए. सी. बंधोपाध्याय, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां उड़ीसा को कार्यकारी दल का अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किया जाये।

ह० एम. आर. भिड़े

सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट 3

भारत सरकार

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

कृषि भवन

नई दिल्ली 26 जुलाई 1961

4 श्रवण 1883

अधिसूचना

नं० एफ़ 6—9/61 यू. टी.। राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी नीति सम्बन्धी अपने प्रस्ताव में यह आवश्यक बताया है कि सहकारी समितियों की मार्फ़त तकाबी कर्ज और अन्य सुविधायें देकर ऐसी हालतें पैदा की जानी चाहियें कि हर काश्तकार और ग्रामीण कार्यकर्ता को सहकारी समिति का सदस्य बनने से फायदा दिखाई दे। राष्ट्रीय विकास परिषद के इस निर्णय के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने मई 1959 में सभी राज्यों को सुझाव दिया कि विपत्ति के समय तकाबी कर्ज देने के सिवाये बाकी सभी सहायता नियमतः सहकारी संगठनों के द्वारा दी जाये।

2. यद्यपि कुछेक राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाये हैं कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में और या कुछ विशिष्ट कार्यों के लिये तकाबी कर्ज सहकारी समितियों की मार्फ़त दिये जायें परन्तु कुल मिलाकर प्रगति को उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। यह अनुभव किया गया है कि इस नीति पर अमल करने के मार्ग में कई संगठनात्मक प्रक्रिया सम्बन्धी और प्रशासकीय कठिनाइयां हैं और उन पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिये भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है जो सारे प्रश्न पर विचार करेगी और ऐसे उपयुक्त उपाय सुझायेगी जिससे इस नीति पर अमल किया जा सके।

3. इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. श्री वी. पी. पटेल, (सभापति)
सलाहकार (कार्यक्रम प्रशासन)
योजना आयोग

2. श्री बी. डी. पाण्डे, (सदस्य)
संयुक्त सचिव
सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

3. श्री जी. डी. गोस्वामी, (सदस्य)
संयुक्त सचिव
सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

4. श्री वाई. एन. वर्मा, (सदस्य)
विस्तर आयुक्त
खाद्य और कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

5. श्री सतीश चन्द्र, (सदस्य)
विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश

6. श्री टी. पी. सिंह, (सदस्य)
विकास आयुक्त बिहार

7. श्री आर. तिरुमलाई, (सदस्य)
अतिरिक्त सचिव, उद्योग, श्रम और सहकारिता विभाग,
मद्रास सरकार

8. श्री एल. एन. बोंगिरवार, (सदस्य)
सहका ी समितियों के रजिस्ट्रार,
महाराष्ट्र राज्य (पूना)

9. श्री वी. कोदंडराम रेड्डी, (सदस्य)
अध्यक्ष आन्ध्र सहकारी केन्द्राय भूमि बन्धक बैंक
लिमिटड हैदराबाद

10. श्री के. पी. पाण्डे, (सदस्य)
सभापति, मध्य प्रदेश सहकारी बैंक लि०

11. श्री टी. सत्यनारायणराव (सदस्य)
संयुक्त मुख्य अधिकारी
कृषि साख विभाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

12. श्री बी. एस. धावले (सदस्य सचिव)
उपसचिव, सामुदायिक विकास और
सहकारिता मंत्रालय

4. समिति के लिए निर्दिष्ट विषय इस प्रकार हैं—

(क) विभिन्न राज्यों में किसानों को तकावी कर्ज देने के वर्तमान प्रबन्धों की जांच करना;

(ख) ऐसे संगठनात्मक, प्रक्रिया सम्बन्धी और प्रशासकीय उपाय सुझाना जिनसे सहकारी समितियों की मार्फत तकावी कर्ज देने की नीति पर कारगर तरीके से अमल किया जा सके,

(ग) इस बात की जांच करना कि सहकारी समितियों का वर्तमान संस्थागत ढांचा अपने काम के लिए पर्याप्त है और यदि जरूरत हो तो कुछ परिवर्तनों का सुझाव देना जिससे सहकारी समितियों की मार्फत तकावी कर्ज देने में सुभीता हो,

(घ) इस बात की जांच करना कि क्या तकावी कर्ज देते और वसूल करते समय सहकारी समितियों को किसी प्रकार की गारंटी या सहायता की आवश्यकता है।

5. इस समिति का सदर मुकाम नई दिल्ली में होगा। समिति जरूरत पड़ने पर यथा अवसर दौरे कर सकती है तथा सरकार और सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के साक्ष्य ले सकती है।

ह० एम. आर. भिड़े
सचिव भारत सरकार

परिशिष्ट 4

न. एफ. 8–1/61–योजना

भारत सरकार

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

कृषि भवन

नई दिल्ली, 27 नवम्बर 1961

6 अग्रहायण 1883

प्रेषक:

श्री आर० वेंगु

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सहकारिता के कार्यभारी सचिव
असम सरकार, शिलांग।
बिहार सरकार, पटना।
उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश मिला है कि राज्यों के सहकारी मंत्रियों का जो सम्मेलन जून 1960 में श्रीनगर में हुआ था उसमें यह फैसला किया गया था कि अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिये पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की एक विशेष बैठक बुलाई जाए। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप इस मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की टोलियों ने मौके पर जाकर सहकारी संस्थाओं और विभागों

की प्रगति और समस्याओं का अध्ययन किया। इसके बाद दो सम्मेलन हुए जिन में से एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई 1961 में ऋण (क्रैडिट) सम्बन्धी समस्याओं पर विचार के लिये बुलाया था और दूसरा इस मंत्रालय ने सितम्बर 1961 में बिक्री और प्रोसेसिंग की समस्याओं पर विचार करने के लिये बुलाया था।

2. इन अध्ययनों और विचार विमर्शों के परिणाम स्वरूप जो मोटे-मोटे निष्कर्ष निकले उन पर पूर्वी राज्यों के सहकारी—मंत्री सम्मेलन में विचार किया गया। यह सम्मेलन पहली नवम्बर, 1961 को नई दिल्ली में हुआ। ये संक्षेप में संलग्न पत्रक में दिये गये हैं।

3. सम्मेलन ने इन मोटे निष्कर्षों से और आंदोलन के निर्माण के लिये अपनाये जाने वाले आवश्यक उपायों से आम तौर से सहमति प्रकट की। मोटे तौर पर इन उपायों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है—

(क) सहकारी संस्थाओं पर से सरकारी अफसरों का नियंत्रण हटा दिया जाये और गैर सरकारी लोगों को इन संस्थाओं में जिम्मेदारी के पद सम्हालने दिये जाएं।

(ख) आंदोलन के ढांचे की कमजोरियों को दूर करने के किये कदम उठाये जायं और जिन कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया है उन्हें अपनाया जाय। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं— ऋण के ढांचे का पुनर्गठन, मृत प्रायः समितियों को भंग करना या पुनर्जीवित करना, बिक्री समितियों का पुनर्गठन, बिक्री को ऋण में जोड़ना, बिक्री के लिये वित्तीय सहायता देने के तरीके को सुविधाजनक बनाना, बिक्री के काम के लक्ष्य निर्धारित करना आदि।

(ग) सहकारी संस्थाओं और विभागों में कर्मचारियों की वर्तमान कमी को दूर करने के लिये कुशल और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रखना।-सम्मेलन ने इस बात से भी सहमति प्रकट की कि इन राज्यों में सहकारिता की विकास योजनाओं के लिये विशेष सहायता की आवश्यकता होगी।

4. अब इस प्रश्न पर योजना आयोग से विचार विमर्श किया जा चुका है। इस बात से सहमति प्रकट की गई है कि इन राज्यों में ध्यान देने योग्य सबसे पहिली समस्या यह है कि जनता में सहकारिता की भावना पैदा की जाये और सरकारी अफसरों तथा गैर सरकारी सहकारी लोगों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही इन राज्यों की विशेष समस्याओं को देखते

हुये यहां की सहकारी बिक्री समितियों और ऋण संस्थाओं को विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। योजना आयोग ने इस क्षेत्र के राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिये एक करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। यह विचार है कि इन संस्थाओं को अधिक उदार तरीके से सहायता देने के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाने चाहियें और उन्हें इस मंत्रालय के पास विचारार्थ भेज देना चाहिये। राज्य सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव नीचे दिये गये हैं--

(1) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सिवाय, सहकारी ऋण संस्थाओं, हाट समितियों और प्रोसेसिंग समितियों के प्रबन्धक कर्मचारियों के लिये आमतौर पर मदद और सहायता देने का तरीका यह होता है कि तीन वर्ष तक सहायता दी जाती है और सहायता की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जाती है अर्थात् पहले वर्ष पूरा खर्च दिया जाता है, दूसरे वर्ष खर्च का $\frac{2}{3}$ और तीसरे वर्ष $\frac{1}{3}$। व्यवसाय बढ़ाने के लिये इन समितियों की 4 वर्ष तक निम्न रूप में सहायता की जा सकती है-पहले और दूसरे वर्षों में कर्मचारियों का पूरा खर्च, तीसरे वर्ष $\frac{2}{3}$ खर्च और चौथे वर्ष $\frac{1}{3}$ खर्च।

(2) आजकल आम तौर पर किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमिबन्धक बैंक या प्राथमिक भूमि बंधक बैंक की शाखा को ऐसी कुल सहायता 7,000 से 8,000 रुपये तक दी जा सकती है।

(3) इन्ही हाट और प्रोसेसिंग समितियों को ऐसी सहायता 4,500 रुपये तक दी जा सकती है। राज्य सरकार इन समितियों को 4 वर्ष में दी जाने वाली कुल आवश्यक सहायता की राशि निर्धारित कर सकती है।

(4) ऐसी नई संस्थाओं को बढ़ी हुई सहायता दी जा सकती है जो या तो दूसरी योजना में बनाई गई या तीसरी योजना में बनाई जायेंगी।

5. राज्य सरकार उदार सहायता देने पर जो व्यय करेगी, और जो व्यय वह साधारण नियमों के अनुसार सहायता देने पर करती, उन दोनों के अन्तर को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी। पर अतिरिक्त सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम सहायता के अलावा होगी।

6. तथापि मुझे यहां यह बताना है कि यह बढ़ी हुई सहायता उन अन्य उपायों पर निर्भर करेगी, जो साथ-साथ कार्यान्वित किये जायेंगे।

7. मैं आप से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि राज्य सरकार उसके

अनुरूप अपनी योजना तैयार करे और अपनी 1962-63 की योजनाओं में पर्याप्त व्यवस्था करें।

भवदीय

(आर० वेंगु)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपियां—

1. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, असम राज्य, *शिलांग*। बिहार राज्य, *पटना*। उड़ीसा राज्य, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता।
2. योजना आयोग, (सामुदायिक विकास और सहकारिता डिवीजन), योजना भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड 118, जोर बाग, नई दिल्ली।
4. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कृषि ऋण विभाग, पोस्ट बाक्स नं० 1037, बम्बई-1।
5. मैनेजिंग डाइरेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई-1।
6. वित्त मंत्रालय (सामुदायिक विकास और सहकारिता शाखा)।
7. समन्वय अनुभाग, सामुदायिक विकास विभाग।
8. विभाग के सभी अफसरों और अनुभागों को।

आर० वेंगु

अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्न पत्रक

1. पूर्वी क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन की कई एक समस्याएं हैं जिनका मुख्य कारण यह है कि कुछ क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का सामान्य विकास नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने 1959-60 में देश में जितना ऋण दिया, पूर्वी क्षेत्र में उसका भाग 5 प्रतिशत से भी कम था। इसी तरह इस अवधि में देश में सहकारी हाट व्यवस्था ने जितने माल की बिक्री की, उसमें पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का भाग 7 प्रतिशत से भी कम था। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी नहीं के बराबर प्रगति हुई है।

2. इस आन्दोलन के पिछड़ने के मुख्य कारणों में से एक यह है कि आम-तौर पर यहां बहुत-सी सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी सरकारी अफसर ही बने हुए हैं। परिणाम स्वरूप यहां गैर सरकारी नेतृत्व नहीं पनप पाया।

3. गैर सरकारी लोगों को सहकारी संस्थाओं में जिम्मेदारी के पद सौंपने के अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि उन्हें सहकारिता की दृष्टि से प्रगतिशील राज्यों में उचित क्षेत्रों में इस आन्दोलन का अध्ययन का मौका मिले।

4. मृतप्राय समितियों को पुनर्जीवित करने या भंग करने का एक सोपान वार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

5. केन्द्रीय बैंकों/शीर्ष बैंकों/भूमि बन्धक बैंकों का पुनर्गठन का काम हाथ में लिया जा चुका है। इसे और तेजी से पूरा करना चाहिए।

6. कई मामलों में हाट व्यवस्था समितियों के स्थान का चुनाव और उनके कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते समय व्यवसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। ऐसी समितियों के मामले में काफी कुछ पुनर्गठन की जरूरत पड़ेगी।

7. काश्तकार हो या ग्राम समितियां, सहकारी हाट व्यवस्था समितियों की सदस्य-संख्या कुल मिलाकर अपर्याप्त है। उनकी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए कदम

उठाने की जरूरत है ताकि सहकारी हाट समितियां पर्याप्त हिस्सा पूँजी जुटा सकें और प्राथमिक उत्पादक से उचित संपर्क स्थापित कर सकें।

8. बिहार में सहकारी हाट समितियों पर सरकारी अफसरों का लगभग पूरा नियंत्रण है। खण्ड विकास अधिकारी आमतौर से समिति का सभापति होता है और विभागीय इंसपैक्टर उसका मैनेजर होता है जो सहकारी रजिस्ट्रार के नियंत्रण में काम करता है। इन अवस्थाओं को बदलना पड़ेगा ताकि हाट समितियों का सभापति कोई गैर सरकारी व्यक्ति बन सके। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक कर्मचारियों को भी निश्चय ही प्रबन्धकारिणी समितियों के नियंत्रण में काम करना चाहिए।

9. दूसरी योजना में पूर्वी क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में हाट समितियां खोली गई हैं। अब जोर इन समितियों को मजबूत बनाने पर दिया जाना चाहिए न कि नई समितियां खोलने पर।

10. पूर्वी क्षेत्र में लगभग 412 व्यक्तियों को सहकारी हाट व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इन प्रशिक्षित व्यक्तियों का उययोग हाट समितियों में किया जाए। सहकारी हाट समितियों को शीर्ष हाट व्यवस्था समितियों के अन्तर्गत इन प्रशिक्षित व्यक्तियों का कैडर बनाना चाहिए।

11. पश्चिम बंगाल में ग्राम हाट स्तर की 200 लघु आकार की हाट समितियां बनई गई। परन्तु ये समितियां चल न सकी। अब एक कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्हें चलने योग्य समितियों से मिलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम और अधिक तेजी से पूरा किया जाना चाहिए।

12. पश्चिम बंगाल में यह जरूरी है कि उर्वरकों के वितरण का यथासंभव अधिकतम काम सहकारी समितियों की मार्फत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि सहकारी हाट व्यवस्था समितियां और ग्राम समितियां खेती की अन्य जरूरियात और उपभोक्ता सामान मुहैया करने का काम भी अधिकाधिक अपने हाथ में लें।

13. यह निश्चित करने के लिए कि ये हाटसमितियां जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, इन समितियों को माल मुहैया करने और बिक्री करने के लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिएं। राज्य के अधिकारियों को समय-समय इन दोनों दृष्टियों से सहकारी हाट समितियों के काम की विवेचना करनी चाहिए। जहां कहीं जरूरी हो, राज्य कृषिहाट व्यवस्था निदेशालय की सहायता ली जाए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि निर्धारित अवधि में माल मुहैया करने और बिक्री, दोनों दृष्टियों से एक निश्चित न्यूनतम राशि का व्यापार हो सके।

14. राज्य के अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिएं कि जहां तक सम्भव हो सके सहकारी ऋण व्यवस्था और हाट व्यवस्था को जोड़ दिया जाए। इससे उत्पादन ऋणों की वसूली में भी सुविधा होगी और साथ ही हाट समितियां पैदावार भी इकट्ठी कर सकेगीं।

15. बिक्री के लिये वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये आवश्यक प्रशासकीय कदम उठाने जाने चाहियें ताकि सहकारी समितियां अधिकाधिक मात्रा में बचत के आधार पर वित्तीय सहायता देने की सुविधा दे सकें।

16. पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में पटसन, आलू और धान का बड़े पैमानों पर अन्तर्राज्यीय व्यापार होता है। सहकारी समितियों को इस अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। राष्ट्रीय हाट व्यवस्था संघ को ऐसे अन्तर्राज्यीय व्यापार में सुविधायें देने की जिम्मेदारी उठानी चाहिये और इसके लिये कलकत्ता में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना चाहिये तथा विभिन्न राज्यों की व्यवस्था सहकारी समितियों से सम्पर्क स्थापिक करने चाहियें।

परिशिष्ट–5

सहकारिता सम्बन्धी प्रकाशन

1 जनवरी, 1961 से आज तक

अंग्रेजी

1. कम्यूनिटी डेवलैपमैंट थ्रू सहकारी समाज
2. कोआपरेटिव फ़ार्मिंग–पौलिसी एण्ड प्रोग्राम
3. युनाइटैड दे स्टैंड (सफल सहकारी समितियों की कहानियां,
4. कोआपरेटिव मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग
5. रिपोर्ट ऑफ दी स्टडी टीम ऑन कोआपरेटिव ट्रेनिंग (प्रथम खंड)
6. रिपोर्ट ऑफ दी स्टडी टीम ऑन कोआपरेटिव ट्रेनिंग (दूसरा खंड)
7. सर्विस कोआपरेटिव–ह्वाट एण्ड ह्वाई (रिवाइज्ड)
8. एनुअल रिपोर्ट 1960–61, डिपार्टमैंट ऑफ कोआपरेशन
9. प्रोसीडिंगस एण्ड एजेंडा नोट्स ऑफ कौफ्रेंस ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफ़ कोआपरेटिव्स सोसाइटीज़ एण्ड एनुअल कौंफ्रेंस ऑफ दी स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ कोआपरेशन एट न्यू देहली 1961
10. ह्वाउ टू ऑर्गनाइज़ ए विलेज सर्विस–कोआपरेटिव
11. रिपोर्ट ऑफ दी वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत्स एण्ड कोआपरेशन
12. एजुकेशन इन कोआपरेशन
13. कोआपरेशन इन दी थर्ड प्लैन

हिन्दी

14. सहकारी समाज के जरिये सामुदायिक विकास
15. वार्षिक रिपोर्ट, सहकारिता विभाग, 1960–61

कन्नड़

16. जवाहरलाल नेहरू ऑन कोआपरेशन

उड़िया

17. जवाहरलाल नेहरू ऑन कोआपरेशन

परिशिष्ट 6

सहकारिता पर फिल्में

वितरित फिल्में

1. लेबर कोआपरेटिव्स (शीर्षक : टुगेदर फार ईच अदर)
2. सर्विस कोआपरेटिव्स
3. कोआपरेटिव मार्केटिंग

बन रही फिल्में

1. कोआपरेटिव फार्मिंग
2. फिशरमेन्स कोआरेटिव्स

विवरण—1

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की प्रगति

क्रम सं०	मद	1950-51	1955-56	1960-61*	1965-66 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6
1	संख्या (लाख)	1.05	1.60	2.13	2.30
2	समितियों के अधीन गांवों का प्रतिशत			70	100
3	सदस्य संख्या (लाख)	44.08	77.91	173.18	370.00
4	समितियों के आधीन खेतिहर जनता का प्रतिशत	8	15	33	60
5	प्रति समिति औसत सदस्य संख्या	45	47	81	161
6	हिस्सा पूंजी (करोड़ रु०)	7.61	16.80	56.10	118.00
7	डिपाजिट (करोड़ रु०)	4.28	7.04	14.63	42.00
8	कर्ज दिए (करोड़ रु०)	22.90	49.62	208.46	530.00
9	प्रति सेमिति औसत हिस्सा पूंजी (रु०)	727	1,051	2,631	5,130
10	प्रति समिति औसत डिपाजिट (रु०)	408	441	6.86	1,826
11	प्रति समिति औसत कर्ज (रु०)	1,983	3,102	9,776	23,043
12	प्रति सदस्य औसत डिपाजिट	9.7	9.0	8.4	11.4
13	प्रति सदस्य औसत कर्ज	44	64	120	143
14	प्रतिशत ऋण बकाया	22	25	20	...

* 1960-61 के आंकड़े अस्थायी हैं।

विवरण—2

प्राथमिक कृषि ऋण और बहूद्देश्यीय समितियां

(राज्यवार विवरण 1960-61)

(लाख रुपये)

क्र० संख्या	राज्य	संख्या	सदस्य संख्या (हजारों में)	हिस्सा पूंजी	डिपाजिट	कर्ज दिये
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	14,101	15,89	4,00	90	19,99
2	आसाम	5,200	2,22	39	3	62
3	बिहार	17,086	9,61	1,01	56	1,82
4	गुजरात	7,441	8,53	8,12	1,52	23,59
5	जम्मू और काश्मीर	1,368	2,40	30	5	1,08
6	केरल	2,239	7,98	1,75	1 22	5,09
7	मध्य प्रदेश	20,691	9,01	3,09	73	17,87
8	मद्रास	10,211	21,38	3,57	1,22	24,36
9	महाराष्ट्र	18,983	18,19	11,20	1,00	40,00
10	मैसूर	8,236	11,72	4,76	1,12	18,00
11	उड़ीसा	6,630	4,09	1,00	13	2,56
12	पंजाब	18,448	12,98	4,81	4,32	11,76
13	राजस्थान	10,913	6,73	1,94	27	5,65
14	उत्तर प्रदेश	552,88	33,40	8,71	1,21	31,79
15	प० बंगाल	14,750	7,50	91	22	3,50
16	केन्द्र शासित प्रदेश	1,662	1,55	54	13	78
	योग 1960-61	2,13,247	1,73,18	56,10	14,63	2,08,46
	योग 1959-60	2,04,714	1,44,68	47,02	11,85	1,68,40

नोट :—1960-61 के आंकड़े अस्थायी हैं।

विवरण 3

चीनी कारखानों की प्रगति

मद	1955-56	1960-61	1965-66 लक्ष्य
1	2	3	4
1. चालू कारखानों की संख्या	3	30	56
2. चीनी का उत्पादन (लाख मीटरिक टनों में)	0.3	4.4	8.8
3. राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत	1.4	14.6	25

विवरण 4

सहकारिता का प्रशिक्षण और शिक्षा

(31 दिसम्बर, 1961 की स्थिति)

प्रशिक्षण की किस्म	प्रशिक्षण केन्द्र		31 दिसम्बर 1961 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
	संख्या	हर सत्र की क्षमता	
1	2	3	4
(क) विभागीय और संस्थागत			
1. वरिष्ठ अधिकारी	1	40	569
2. माध्यमिक अधिकारी	5	250	1,424
3. खण्ड स्तरीय अधिकारी	8	774	3,625
4. कनिष्ठ अधिकारी	65	5,710	25,472*
5. विशिष्ट पाठ्यक्रम			
(क) सहकारी बिक्री	5	195	1,436
(ख) भूमि बन्धक बैंकिंग	1	40	419
(ख) गैर सरकारी लोग			
1. पदाधिकारी			40,972
2. प्रबन्ध समिति के सदस्य			1,48,174
3. सदस्य और सम्भावित सदस्य			11,44,122
4. योग	415		13,33,088

*पासशुदा व्यक्तियों की संख्या

विवरण 5

सहकारिता के लिए योजना का राज्यवार व्यय और निर्धारित राशि

(लाख रुपयों में)

राज्य	दूसरी योजना मे खर्च 1956-61	तीसरी योजना		
		कुल निर्धारित राशि 1961-66	व्यय की सम्भावना 1961-62	1962-63 के लिए कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1 आंध्र प्रदेश	3,00	5,75	85	76
2 असम	1,14	2,00	29	31
3 बिहार	2,80	5,13	56	78
4 गुजरात	3,57	4,57	64	53
5 जम्मू और काश्मीर	28	80	12	14
6 केरल	56	2,46	50	41
7 मध्यप्रदेश	2,82	6,70	84	1,22
8 मद्रास	1,80	4,71	1,11	1,20
9 महाराष्ट्र	6,80	9,57	1,17	1,68
10 मैसूर	2,40	4,75	68	90
11 उड़ीसा	1,04	2,37	30	45
12 पंजाब	1,71	4,24	64	75
13 राजस्थान	1,76	4,00	51	68
14 उत्तर प्रदेश	4,05	10,84	1,13	1,60
15 प० बंगाल	1,13	1,65	45	50
16 केन्द्र शासित प्रदेश	63	1,51	26	39
योग	37,49	71,10	10,06	1230

(28-3-1962 को)

अग्रगामी परियोजना क्षेत्रों में सहकारी खेती समितियों के संगठन में हुई प्रगति।

क्रम संख्या	राज्य	अंतर्गत लाए गए जिलों की संख्या	संगठित की गई समितियों की संख्या।	सदस्यता	एक जुट किया गया क्षेत्र या जो क्षेत्र उनके पास हैं। (एकड़ों में)	1961-62 में संगठित की जाने वाली समितियों की संख्या
1	2	3	4.	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	अप्राप्य	अप्राप्य	30
2.	असम	2	4	87	2707	10
3.	बिहार	5	17	335	862	30
4.	गुजरात	4	11	200	1528	20
5.	जम्मू और काश्मीर	1	6	208	600	20
6.	केरल	2	6	320	583	10
7.	मध्य प्रदेश	5	17	339	4665	25
8.	मद्रास	2	3	110	315	21
9.	महाराष्ट्र	10	52	761	6670	35
10.	मैसूर	5	10	174	1772	30
11.	पंजाब	4	12	146	1092	50
12.	उड़ीसा	2	9	101	596	20
13.	राजस्थान	3	24	287	5441	30
14.	उत्तर प्रदेश	11	41	557	3339	50
15	पश्चिमी बंगाल	3	3	45	135	25
16.	दिल्ली	1	3	69	525	2
17.	हिमाचल प्रदेश	2	2	25	77	2
18.	मनीपुर	1	3	84	200	—
19.	त्रिपुरा	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
20.	पांडीचेरी	1	2	अप्राप्य	अप्राप्य	2
	योग :	65	226	3848	28,670	412